वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

FORUM OF REGULATORS
FOR

विनियामक फोरम (एफओआर)

वार्षिक रिपोर्ट
2015-16

विनियामक फोरम

विनियामक फोरम (एफओआर)
सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ),
तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग,
36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001
दूरभाषः +91–11–23753920
फैक्सः +91–11–23752958

प्रस्तावना

वर्ष 2015–16 के दौरान विनियामक फोरम (एफओआर) ने विद्युत क्षेत्र में महत्वपूर्ण विषयों पर विचार–विमर्श करने और विवेचनीय विषयों पर सहमति तैयार करते हुए अपने उद्देश्यों को पूरा करना जारी रखा। फोरम ने विद्युत क्षेत्र में सुधारों तथा नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए पर्याप्त उपाए किए।

फोरम ने ''क्रॉस सब्सिडी में कमी के लिए रोड मैप'' के संबंध में एक अध्ययन आरंभ किया। अध्ययन ने श्रेणीवार आपूर्ति की लागत की गणना के लिए सिफारिश की। आपूर्ति लागत के विस्तृत अध्ययनों की अनुपस्थिति में, राज्य विद्युत विनियामक आयोग सरलीकृत दृष्टिकोण (आपूर्ति की वोल्टेज–वार लागत पर आधारित) का प्रयोग कर सकता है तथा एक सन्निहित लागत दृष्टिकोण अपनाने के लिए एक नियत टाईम–फ्रेम निर्धारित कर सकता है और ग्राहक की आपूर्ति लागत के टैरिफ को संरेखित करने के लिए नियत टाईम–फ्रेम के साथ एक रोडमैप परिभाषित किया जाना चाहिए। इसके आगे यह भी सुझाव दिया गया कि जिन राज्यों में ग्राहक श्रेणियों की एसीओएस +/– 20% रेंज के बाहर हैं, उन्हें उद्देश्य +/– 20% रेंज के अंदर जाना चाहिए। अगले कदम के रूप में, राज्यों को सरलीकृत दृष्टिकोण अपनाते हुए आपूर्ति की लागत को मापना चाहिए और संबंधित ग्राहक श्रेणी की इस आपूर्ति की लागत से खुदरा आपूर्ति टैरिफों को संरेखित करना चाहिए। बाद में, वे राज्य जिन्होंने टैरिफ नीति और विद्युत अधिनियम, 2003 के उद्देश्य को पहले ही प्राप्त कर लिया है, उन्हें आपूर्ति की लागत को मापने के लिए अंतः स्थापित लागत दृष्टिकोण अपनाना चाहिए और वर्ष दर वर्ष टैरिफ तर्कसंगतता के माध्यम से श्रेणी–वार लागत कवरेज को बनाए रखना जारी रखना चाहिए। ग्राहक द्वारा प्राप्त की जाने वाली क्रॉस सब्सिडी, ग्राहक के बिल विवरणों में एक पृथक मद के रूप में दर्शाई जानी चाहिए। विद्युत ग्राहकों के लिए, उनके पैन / आधार कार्ड से लिंक किए गए, केवाईसी मानदंड आरंभ किए जा सकते हैं, जो कि भविष्य में, ग्राहक के बैंक खाते में सब्सिडी सीधे अंतरित करने के लिए उपयोग किए जा सकते हैं।

फोरम ने ''स्मार्ट ग्रिड के संबंध में मॉडल विनियम'' प्रकाशित किया, जिसमें मॉडल विनियमों के उद्देश्य और दायरा, स्मार्ट ग्रिड सैल के गठन, इसकी भूमिका और दायित्व, स्मार्ट ग्रिड योजना/कार्यक्रम/परियोजनाओं के जीवन चक्र और मॉडल विनियमों के अन्य विविध प्रावधानों से संबंधित मामले हैं। फोरम ने राज्य विद्युत विनियामक आयोगों/संयुक्त विद्युत विनियामक आयोगों में उपयोग के लिए ड्राफ्ट मॉडल स्मार्ट ग्रिड विनियमों को प्रचारित किया।

फोरम ने विद्युत बिल, जो कि "समझने में आसान हो, जांचने में सरल हो और भुगतान कैसे किया जाए, यह समझने में आसान हो", के लिए एक मानकीकृत प्रारूप प्रस्तावित करने के लिए कार्यकारी समूह के माध्यम से "विद्युत बिल के मानकीकरण" के संबंध में कार्य किया। फोरम ने यथानुपात आधार में अल्पावधि बिलिंग का परिहार करते हुए अपनी रिपोर्ट में निर्णय लिया कि 30 दिनों का बिल चक्र अंगीकार किया जाना चाहिए। इसके आगे फोरम ने बिलिंग प्रारूप और बिलिंग अवधि में परिवर्तनों को दर्शाने के लिए आपूर्ति कोड के संबंध में राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा अधिसूचित विनियमों में आवश्यक संशोधन करने का सुझाव दिया।

वर्ष के दौरान, फोरम ने ''विनियामक फोरम'' रिपोर्ट का सार–संग्रह (50 रिपोर्ट सहित 7 खंड), "विनियामक फोरम" बैठकों के कार्यवृत्त का सार–संग्रह (7 खंड, 2005 और मार्च, 2015 के बीच हुई बैठकों के संबंध में) जारी किया।

फोरम ने अस्थिर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (पवन और सौर) के लिए ''पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और असंतुलन से निपटने के संबंध में रूपरेखा'' के संबंध में मॉडल विनियमों (राज्य स्तर) को प्रकाशित किया। मॉडल विनियमों का उद्देश्य ग्रिड ऑपरेटरों को डे–अहेड और आवर–अहेड दृश्यता की सुविधा इसलिए प्रदान करना है कि कितनी नवीकरणीय विद्युत इंजेक्ट किए जाने की अपेक्षा है जो उन्हें 'नेट लोड' का अनुमान लगाने की अनुमति देता है और नेट लोड के अप और डाउन रैंपों के लिए योजना बनाता है; नवीकरणीय ऊर्जा की निहित परिवर्तनशीलता और अनिश्चितता से निपटते समय, बिना बैकिंग–डाउन हानियों के, उत्पादनकर्ताओं को ग्रिड के साथ स्थायी तरीके से एकीकृत किया जाए; और सटीक पूर्वानुमान के लिए प्रोत्साहन प्रदान करना और शेड्यूल से मेगावाट विचलनों को कम करना।

फोरम द्वारा की गई पृष्ठभूमि में प्राथमिक रूप से उतरदायित्व अब सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए एसईआरई/जेईआरसी का है। फोरम इस क्षेत्र के विशेषज्ञों के विचारविमर्श करने में लगा रहा है ताकि उन विवेचनीय मुददों पर कार्यान्वयन योग्य समाधानों का पता लगाया जा सके जिससे विद्युत क्षेत्र में चहुमुखी विकास में बाधा पहुंच रही है। हम फोरम के आदेश को पूरा करने में सभी स्टेक होल्डरों से सतत सहायता की अपेक्षा करते हैं।

अध्यक्ष, विनियामक फोरम

विषय सूची

1. **विनियामक फोरम** 7

2. **विनियामक फोरम की गतिविधियां** 9

2.1 विनियामक फोरम की बैठक 9

6 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 47वीं बैठक 9

10 से 11 जून, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 48वीं बैठक 9

27 जुलाई, 2015 को अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित विनियामक फोरम की 49वीं बैठक 10

30 सितम्बर, 2015 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित विनियामक फोरम की 50वीं बैठक 10

30 नवम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 51वीं बैठक 10

फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 52वीं बैठक 11

18 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 53वीं बैठक 11

2.2 पूरे किए गए अध्ययन 11

क्रॉस सब्सिडी में कटौती के लिए रोड मैप 11

विद्युत की खुदरा बिक्री में प्रतिस्पर्धा के आरंभ के लिए योजना का रोल आउट 12

विद्युत बिल का मानकीकरण 13

वितरण प्रयोज्यताओं का प्रदर्शन 14

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम 14

21–22 नवंबर, 2015 से आईआईटी कानपुर में 9 वीं क्षमता निर्माण कार्यक्रम और उसके बाद 24–26 नवंबर, 2015 को सिंगापुर में। कार्यक्रम के दौरान शामिल प्रमुख विषय इस प्रकार हैं
25 वें –26 फरवरी, 2016 से राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में सीजीआरएफ और 14

लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हितों की सुरक्षा'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान शामिल मुख्य विषय इस प्रकार हैं
28 से 29 मार्च, 2016 तक राष्ट्रीय शक्ति प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में ''विनियमों के विधिक पहलु'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान शामिल किए गए प्रमुख विषय नीचे दिए गए हैं 15

3. **वर्ष 2015–16 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकाय की उपलब्धियां (सीईआरसी / एसईआरसी / जेईआरसी)** 16

केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग 16

असम विद्युत विनियामक आयोग 16

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 18

अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग 18

बिहार विद्युत विनियामक आयोग 18

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग 18

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग 19

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग 19

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग 19

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 19

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा एवं यूपी) 20
संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर एवं मिजोरम) 20
जम्मू एवं कश्मीर राज्य विद्युत विनियामक आयोग 20
झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग 20
कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग 21
केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग 21
महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग 22
मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 22
मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग 22
नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग 22
ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग 22
पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग 23
राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग 23
सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग 23
त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग 24
तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग 24
तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग 24
उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग 24
उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग 24
पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग 25
वर्ष 2014–15 और 2015–16 के लिए डीवीसी का टैरिफ आदेश 25

4. राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित मुद्दों पर स्थिति रिपोर्ट 26

5. राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष की सूची 27

6. वार्षिक लेखापरीक्षित लेखा 29

अनुबंध–I
केविविआ के टैरिफ अनुसूचियां उत्पादन टैरिफ 45

अनुबंध–II
राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के आदेश जारी करने की समयबद्धता 51

अनुबंध–III
सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्यपद्धति 56

1 विनियामक फोरम

विद्युत क्षेत्र के लिए एक स्वतंत्र विनियामक आयोग की परिकल्पना वर्ष 1990 के दशक के आरंभ में उस समय की गई थी जब 1994 में महाराष्ट्र के तत्कालीन मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में विद्युत संबंधी राष्ट्रीय विकास परिषद समिति ने 'सार्वजनिक और निजी प्रयोज्यताओं की टैरिफ नीतियों को विनियमित करने के लिए क्षेत्रीय स्तर पर स्वतंत्र व्यवसायिक टैरिफ बोर्डो का गठन' करने की सिफारिश की थी। समिति ने यह भी दोहराया था कि 'टैरिफ बोर्डो से प्रत्येक क्षेत्र और प्रत्येक राज्य के लिए समुचित विद्युत टैरिफों को तैयार करने के मामले में उच्च स्तर की व्यवसायिकता आ सकेगी।'

विनियामक आयोग के गठन की आवश्यकता को 1996 में आयोजित मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन में पुनः दोहराया गया। सम्मेलन में अन्य बातों के साथ साथ विद्युत के लिए सामान्य न्यूनत्तम राष्ट्रीय कार्रवाई योजना की बात को व्यक्त करते हुए यह सहमति हुई कि राज्य विद्युत बोर्डो में सुधार और पुनर्संरचना करना आवश्यक है तथा इन्हें निश्चित सीमा के अंदर पूरा किया जाना चाहिए; और इस दिशा में एक उपाय के रूप में विनियामक आयोग को बनाने की बात को समझा गया। इस प्रकार केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों (विविआ) को बनाने के लिए विद्युत विनियामक आयोग (ईआरसी) अधिनियम, 1998 (संक्षेप में, 1998 अधिनियम) अधिनियमित किया गया।

1998 का अधिनियम, टैरिफ विनियमन से सरकार को दूर रखने के उद्देश्य से अधिनियमित किया गया था। 1998 के अधिनियम में विद्युत टैरिफ को तर्कसंगत बनाने, टैरिफ सब्सिडी इत्यादि से संबंधित पारदर्शिता नीतियों के सुव्यवस्थितीकरण के लिए केन्द्र तथा राज्यों में विद्युत विनियामक आयोगों के लिए उपबंध किया गया। अब 1998 के अधिनियम को विद्युत अधिनियम 2003 (संक्षेप में, 2003 का अधिनियम) द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया है। 2003 अधिनियम की शुरुआत से विद्युत विनियामक आयोगों के कार्यकलाप विद्युत बाजार के क्षेत्र के विकास की भूमिका के साथ साथ इसे सरकार को परामर्श कार्य भी निर्दिष्ट किए गए हैं। केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग तथा अधिकांश राज्य विद्युत विनियामक आयोग अधिनियम 1998 के अंतर्गत गठित किए गए थे। तथापि, मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग, जेईआरसी (मणिपुर एवं मिजोरम) तथा जेईआरसी (गोवा एवं संघ शासित प्रदेश) जैसे कुछ एसईआरसी/जेईआरसी 2003 के अधिनियम के बाद गठित किए गए थे।

इस फोरम को 2003 के अधिनियम की धारा 166(2) के अंतर्गत उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी 2005 की विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया था जिसका मुख्य उद्देश्य सीईआरसी, एसईआरसी और जेईआरसी द्वारा तैयार किए गए विद्युत क्षेत्र में विनियमनों में एकरूपता प्राथमिक उद्देश्य था।

केन्द्रीय सरकार ने विनियामक फोरम के लिए निम्नलिखित नियम भी बनाए हैः–

❖ फोरम का गठन

फोरम में केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष एवं राज्य आयोगों के अध्यक्ष शामिल होंगे। केन्द्रीय आयोग के अध्यक्ष विनियामक फोरम के अध्यक्ष होंगे। केन्द्रीय आयोग के सचिव फोरम के पदेन सचिव होंगे। फोरम की सचिवीय सहायता केन्द्रीय आयोग द्वारा प्रदान की जाएगी। फोरम का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित होगा।

❖ फोरम के कार्य

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा अर्थात :–

- केन्द्रीय आयोग तथा राज्य आयोगों के टैरिफ आदेशों तथा अन्य आदेशों का विश्लेषण एवं उक्त आदेशों से उत्पन्न आकंडों का संकलन करना विशेष रूप से प्रयोज्यताओं की कार्य कुशलता को रेखांकित करना;
- विद्युत क्षेत्र में विनियमन में एक रूपता;
- अधिनियम के अंतर्गत अपेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानकों को निर्धारित करना;
- सामान्य हित के और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न मुददों के संबंध में फोरम के सदस्यों को सूचना शेयर

करना;

- ऊर्जा क्षेत्र विनियमन से संबंधित मुददों पर आउटसोर्सिंग के माध्यम से या इन हाउस अनुसंधान कार्य से पूरा करना;
- उपभोक्ताओं के हित की सुरक्षा के लिए उपाय विकसित करना और ऊर्जा क्षेत्र में कार्यकुशलता, मितव्ययिता और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना; तथा
- इस प्रकार के अन्य कार्य जिसे केन्द्रीय सरकार समय समय से निर्दिष्ट कर सकती है।

❖ फोरम का वित्त

- केन्द्रीय सरकार फोरम की गतिविधियों के कार्यान्वयन के लिए राज्य आयोगों से आवश्यक वित्तीय अंशदान ले सकती है। केन्द्रीय आयोग फोरम की गतिविधियों के लिए अलग लेखा रखेगी।

❖ मिशन विवरण

विनियामक फोरम की अवधारणा स्वतंत्र विनियमों के विकास को पूरा करने तथा भारत में विद्युत क्षेत्र में स्टेक रखने वालों को शक्ति प्रदान करने के मिशन से आरंभ किया गया था। इस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए फोरम का लक्ष्य निम्नानुसार है:–

- विद्युत क्षेत्र में विनियमों की एकरूपता।
- सम्पूर्ण भारत में राष्ट्रीय नीतियों का अनुपालन
- भारत में विद्युत क्षेत्र में विनियामक निश्चितता बनाए रखने के लिए ईआरसी को प्लेटफार्म उपलब्ध करवाना।
- उपभोक्ताओं के हित में व्यापक नीतियों/विनियमों के कार्यान्वयन के माध्यम से निवेश को बढ़ावा देने के लिए पहल करना।

2 फोरम की गतिविधियां

2.1 विनियामक फोरम की बैठक

फोरम ने वर्ष के दौरान सात बैठकें आयोजित कीं और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर आम सहमति बनाई।

6 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 47वीं बैठक

- फोरम को स्मार्ट ग्रिड पर ड्राफ्ट मॉडल विनियमों से अवगत कराया गया। मॉडल विनियमों के उद्देश्य और दायरे से संबंधित मुद्दे, स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं में निवेश, टैरिफ डिजाइन, स्मार्ट ग्रिड से संबंधित सुरक्षा और मानक, ग्राहक जुड़ाव और स्मार्ट ग्रिड, स्मार्ट ग्रिड सेल और नोडल अधिकारी, स्मार्ट ग्रिड परियोजनाओं और कार्यक्रमों के प्रदर्शन का आकलन और मॉडल विनियमों के अन्य विविध प्रावधानों पर चर्चा की गई। फोरम ने एक कार्यकारी समूह का गठन करने का निर्णय लिया जो प्रस्तावित मसौदा विनियमों में विस्तार से जा सकता है और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर सकता है।
- फोरम ने ''क्रॉस सब्सिडी में कटौती के लिए रोड मैप'' के संबंध में रिपोर्ट पर विचार किया और प्रगतिशील तरीके से क्रॉस सब्सिडी कम करने की आवश्यकता का समर्थन करने वाली रिपोर्ट को फोरम के साथ मंजूरी दी गई।
- विद्युत मंत्रालय द्वारा टैरिफ नीति में प्रस्तावित संशोधनों पर अद्यतन स्थिति को उजागर करते हुए फोरम को ''टैरिफ नीति में संशोधन'' से अवगत कराया गया। चर्चा के बाद, फोरम ने विद्युत मंत्रालय द्वारा आगे की जांच के लिए टैरिफ नीति में प्रस्तावित संशोधनों से संबंधित कुछ पहलुओं का सुझाव दिया।

10 से 11 जून, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 48वीं बैठक

- फोरम ने पहले ही संपन्न विद्युत क्रय करार (पीपीए) और जहां कोयले की खदानों के अधीन नीलामी की गई या आबंटित कोयले की खदानों से कोयला प्राप्त किया जा रहा है, के अधीन वितरण अनुज्ञप्तिधारी को उत्पादनकारी कंपनी द्वारा विद्युत की आपूर्ति के लिए ऊर्जा प्रभारों की समीक्षा और अवधारण के संबंध में विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार से प्राप्त संदर्भ पर विचार किया। फोरम ने उपयुक्त ईआरसी द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाई के लिए नोट किया।
- फोरम को प्रयास एनर्जी ग्रुप द्वारा ''विद्युत आपूर्ति निगरानी पहल'' (ईएसएमआई) के बारे में अवगत कराया गया। समूह ने सूचित किया कि कम वोल्टेज, बार–बार रुकावट और लोड शेडिंग भारत में विद्युत उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय है और आपूर्ति गुणवत्ता के बारे में विश्वसनीय डेटा अक्सर गायब रहता है, जो वितरण कंपनियों को जिम्मेदार ठहराने की उपभोक्ताओं की क्षमता को बाधित करता है। फोरम ने पहल की सराहना की।
- फोरम ने ''विद्युत की खुदरा बिक्री (कैरिज और सामग्री का पृथक्करण) में प्रतिस्पर्धा के आरंभ के लिए रोल आउट योजना'' के संबंध में अध्ययन रिपोर्ट पर विचार किया। फोरम ने फैसला किया कि अध्ययन में सुझाए गए दृष्टिकोणों के अलावा, एक रूपरेखा जिसमें प्रतिस्पर्धा की चरणबद्धता, अर्थात् आरंभ में 20 किलोवाट और इससे कम के लिए संबद्ध भार के साथ उपभोक्ताओं के लिए प्रतिस्पर्धा को खोलना और धीरे–धीरे प्रतियोगिता को चरणों में ऊपर की तरफ खोलना भी रिपोर्ट में डिजाइन और शामिल किया जा सकता है। फोरम ने पूर्वोक्त अवलोकन के साथ अध्ययन रिपोर्ट को विद्युत मंत्रालय को अग्रेषण के लिए अनुमोदन दे दिया गया है।
- फोरम ने विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 के संबंध में संसद के समक्ष रखी गई ऊर्जा पर स्थायी समिति (2014–15) की सिफारिशों को नोट किया।
- फोरम ने विभिन्न मुद्दों और पारेषण संकुचन से संबंधित मुद्दों के संबंध में श्री आर.वी.शाही की अध्यक्षता में उप–समिति की रिपोर्ट पर केंद्रीय सलाहकार समिति (सीएसी) के सदस्यों के साथ बातचीत भी की।

- फोरम ने स्मार्ट ग्रिड के संबंध में ड्राफ्ट मॉडल विनियमों पर कार्यकारी समूह की सिफारिशों पर विचार किया और एसईआरसी / जेईआरसी के बीच प्रसार के लिए मॉडल विनियमों को मंजूरी दी।
- फोरम ने दिल्ली सरकार के एनसीटी (जीएनसीटीडी) द्वारा डीईईआरसी से ''दिल्ली में विद्युत दरों में वृद्धि'' के संबंध में मांगे गए स्पष्टीकरण और जीईआरसीटीडी को डीईआरसी के उत्तर से संबंधित मामले को नोट किया।
- फोरम ने टैरिफ उद्देश्यों के लिए एक संदर्भ के रूप में विचलन व्यवस्थापन तंत्र प्रभार / यूआई प्रभार के उपयोग से संबंधित मामले पर विचार किया और सहमति व्यक्त की कि डीएसएम / यूआई प्रभार का उपयोग किसी भी उत्पादन के टैरिफ के भुगतान के लिए संदर्भ के रूप में नहीं किया जा सकता है।
- फोरम को मसौदा रिपोर्ट और ''वितरण यूटीलिटी के प्रदर्शन'' के संबंध में अध्ययन के निष्कर्षों से अवगत कराया गया।

27 जुलाई, 2015 को अहमदाबाद, गुजरात में आयोजित विनियामक फोरम की 49वीं बैठक

- फोरम ने केविविआ के साथ अपनी बैठक के दौरान ''सीपीपी की नवीकरणीय ऊर्जा स्थिति, विशेषकर बैगास आधारित सह–उत्पादन – जीवाश्म ईंधन के उपयोग की तुलना में वरीयता फीड–इन–टैरिफ के लाभ'' से संबंधित मुद्दों पर ऊर्जा पर स्थायी समिति की टिप्पणियों को नोट किया। फोरम ने फैसला किया कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित सह–उत्पादन संयंत्रों द्वारा जीवाश्म ईंधनों का उपयोग वार्षिक आधार पर कैलोरिफिक वैल्यू के संदर्भ में 15% तक सीमित होना चाहिए। राज्य स्तर पर, ईआरसीसी उपरोक्त सीमा के अनुपालन की निगरानी के लिए एक ''नोडल एजेंसी'' नामित कर सकती है।
- फोरम ने "मांग पक्ष प्रबंधन में विद्युत विनियामक आयोगों में सर्वश्रेष्ठ आचरण और वितरण में ऊर्जा दक्षता" के संबंध में ऊर्जा पर स्थायी समिति की टिप्पणियों को नोट किया।
- फोरम ने फैसला किया कि मैसर्स एनर्जी एफिशिएन्सी सर्विसेस लिमिटेड को किए गए डीएसएमएम कार्यक्रमों के प्रभाव के संबंध में समय–समय पर अध्ययन / मूल्यांकन करने के लिए ईआरसी द्वारा नियुक्त किया जा सकता है।
- फोरम ने ''विद्युत बिल के मानकीकरण'' के संबंध में कार्यकारी समूह की मसौदा रिपोर्ट को मंजूरी दी और निर्णय लिया कि प्रो–राटा आधार पर अल्पावधि बिलिंग से बचते हुए 30 दिनों के बिलिंग चक्र को अपनाया जाना चाहिए।
- फोरम ने तमिलनाडु, राजस्थान और गुजरात के राज्य भार प्रेषण केन्द्रों और सीईओ, पोसोको द्वारा की गई प्रस्तुतियों के माध्यम से उठाए गए मुद्दों को नोट किया और फैसला किया कि देश में बढ़ती हुई नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता के मद्देनजर केविविआ पूर्वानुमान और अनुसूचीकरण के लिए एक फ्रेमवर्क तैयार कर सकता है जो कि उचित रूप से मुद्दों पर ध्यान देगी।
- फोरम ने अंतः राज्य स्तर पर पवन और सौर परियोजनाओं के पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण, विचलन व्यवस्थापन तंत्र के लिए केविविआ की रूपरेखा का समर्थन किया। इसके आगे फोरम ने विनियामक फोरम सचिवालय को केविविआ द्वारा प्रस्तुत व्यापक सिद्धांतों पर आधारित एसईआरसी / जेईआरसी द्वारा फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन से संबंधित ड्राफ्ट मॉडल विनियमों को तैयार करने के लिए निर्देश दिया।

30 सितम्बर, 2015 को पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित विनियामक फोरम की 50वीं बैठक

- फोरम ने परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (पवन और सौर) के लिए पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और असंतुलन से निपटने के लिए मॉडल विनियमों (राज्य स्तर) का समर्थन किया।
- फोरम को भारत के विद्युत क्षेत्र के प्रदर्शन, सभी के लिए 24X7 विद्युत सहित विषयों पर विभिन्न रिपोर्टों से अवगत कराया गया।

30 नवम्बर, 2015 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 51वीं बैठक

- फोरम को राजस्थान नवीकरणीय ऊर्जा कार्पोरेशन लिमिटेड के लिए तैयार आरपीओ फ्रेमवर्क पर ध्यान देने के साथ "राज्य स्तर पर कैप्टिव / ओए संव्यवहारों के लिए आरपीओ अनुपालन फ्रेमवर्क" से अवगत कराया गया। फोरम ने बाद में राज्यों की 4 वितरण यूटिलिटियों को भी शामिल करने के लिए आरईआरसी / कार्यान्वयन एजेंसी को फ्रेमवर्क के दायरे का विस्तार करने की सलाह दी। इसके अलावा, सभी अन्य राज्यों में प्रतिकृति के लिए विनियामकों के फोरम के साथ वेब–टूल्स / प्रारूपों आदि को साझा करने का अनुरोध किया गया था।
- संयुक्त सचिव (वितरण), विद्युत मंत्रालय ने ''उदय योजना'' पर एक प्रस्तुति दी। फोरम ने उदय योजना के विभिन्न प्रावधानों पर विचार–विमर्श किया और सरकार की पहल की सराहना की। फोरम के सदस्यों ने इस योजना के लिए अपना समर्थन और सहयोग दोहराया।

- फोरम को राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ संयुक्त रूप से भारत सरकार की पहल के बारे में बताया गया, जिसका उद्देश्य 2019 तक सभी नहीं जुड़े हुए घरों में विद्युत प्रदान करने के अलावा 12वीं योजना के अंत तक मौजूदा उपभोक्ताओं को गुणवत्त् विद्युत की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित करते हुए उपभोक्ताओं को 24x7 विद्युत की आपूर्ति प्रदान करना है। फोरम ने सुझाव दिया कि अपनी समग्रता में पहल की प्रगति सुनिश्चित करने के लिए, विद्युत मंत्रालय उपयुक्त एसईआरसी/जेईआरसी से फीडबैक मांग सकता है और राज्य विनिर्दिष्ट योजना को अंतिम रूप देते समय इस पर विचार कर सकता है।
- फोरम ने विश्वसनीय ग्रिड प्रबंधन और परिवर्तनीय नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों के बड़े पैमाने पर एकीकरण को प्राप्त करने के लिए राज्यों के लिए रोड मैप के संबंध में केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) द्वारा विद्युत मंत्रालय को दिए गए सांविधिक सलाह का उल्लेख किया।
- फोरम ने दूरसंचार टावरों द्वारा विद्युत के उपयोग के लिए अधिमान्य टैरिफ के लिए टॉवर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एसोसिएशन (टीएआईपीए) के प्रतिनिधित्व पर दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (एमसीआईटी) से प्राप्त विचार मांगने वाले संदर्भ पर विचार किया।
- फोरम ने एसईआरसी / जेईआरसी के समक्ष दायर याचिकाओं के लंबित / निपटान की स्थिति की निगरानी करने और उनकी संबंधित वेबसाइटों पर रखने, जैसा कि केविविआ में प्रचलन में है, की प्रथा को अपनाने के लिए विद्युत मंत्रालय से प्राप्त संदर्भों को नोट किया।
- फोरम ने पश्चिम बंगाल में विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य के संबंध में डब्ल्यूबीईआरसी द्वारा की गई प्रस्तुति को नोट किया।

2 फरवरी, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 52वीं बैठक

- सचिव (पावर) बैठक में शामिल हुए और टैरिफ नीति, 2016 की विशेषताओं के बारे में बताया। फोरम ने संशोधित टैरिफ नीति में उल्लिखित उपायों, जैसे कि, संशोधित पुनरीक्षित क्रॉस सब्सिडी फार्मूला, नवीकरणीय ऊर्जा की बंडलिंग, आयातित कोयला की निकासी लागत, क्रॉस सब्सिडी के भुगतान से रेलवे के लिए छूट, कचरे से ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत की अनिवार्य खरीद, ट्रांसमिशन प्रभारों और हानियों के लिए पवन और सौर परियोजनाओं की छूट आदि के प्रभाव पर चर्चा की।
- फोरम को संशोधित टैरिफ नीति, 2016 में किए गए खंड–वार संशोधनों और सीईआरसी, एसईआरसी / जेईआरसी और विनियामक फोरम के लिए संशोधनों से उत्पन्न होने वाले कार्रवाई योग्य बिंदुओं से अवगत कराया गया। फोरम ने निर्णय लिया कि सीईआरसी /एसईआरसी/जेईआरसी/विनियामक फोरम द्व ारा की जाने वाली कार्रवाइयों से संबंधित मुद्दों पर विस्तृत अध्ययन करने और अपनी सिफारिशें फोरम को प्रस्तुत करने के लिए अध्यक्ष, सीईआरसी / विनियामक फोरम द्वारा विनियामक फोरम का एक कार्यकारी समूह का गठित किया जा सकता है।

18 मार्च, 2016 को नई दिल्ली में आयोजित विनियामक फोरम की 53वीं बैठक

- फोरम को आर्थिक सर्वेक्षण, 2015–16 के अध्याय –11 के शीर्षक ''पावरिंग वन इंडिया'' में विद्युत क्षेत्र से संबंधित उठाए गए मुद्दों पर अवगत कराया गया। फोरम ने आर्थिक सर्वेक्षण, 2015–16 में प्रकाशित विद्युत क्षेत्र से संबंधित मुद्दों और अध्याय के संबंध में प्रस्तुति को नोट किया। फोरम ने परामर्श एजेंसी के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण 2015–16 में प्रकाशित टैरिफों की प्रगति सहित विद्युत क्षेत्र से संबंधित महत्वपूर्ण मुद्दों के संबंध में एक विस्तृत अध्ययन करने का भी निर्णय लिया।
- फोरम ने लोगो के लिए कार्यकारी समूह द्वारा शॉर्टलिस्ट किए गए विकल्पों पर विचार किया और चयनित लोगो के डिजाइन विशेष विवरणों को नोट किया।
- फोरम ने वितरण कंपनियों के फोरम के गठन के बारे में संयुक्त प्रस्ताव पर विचार किया। फोरम ने अपने सदस्यों के रूप में सभी वितरण यूटिलिटियों को मिलाकर एक संघ / सोसायटी के गठन के लिए पहल की सराहना की और संघ / सोसायटी की गतिविधियों को नोट किया।

2.2 पूरे किए गए अध्ययन

क्रॉस सब्सिडी में कटौती के लिए रोड मैप

क्रॉस सब्सिडी या टैरिफ युक्तिकरण में कमी के मुद्दे को हल करने के लिए, विनियामक फोरम (एफओआर) ने विभिन्न राज्यों में इस संबंध में यूटिलिटियों द्वारा की गई प्रगति का विश्लेषण और क्रॉस सब्सिडी को कम करने के लिए विभिन्न एसईआरसी द्वारा अपनाई गई सर्वोत्तम प्रथाओं की पहचान करते हुए, मैसर्स प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्राइवेट लिमिटेड (पीडब्ल्यूसी) को ''क्रॉस सब्सिडी में कटौती के लिए रोड मैप'' पर अध्ययन करने के लिए नियुक्त किया। अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित थे:

- विद्युत अधिनियम, 2003 के अधीन यथानिर्दिष्ट टैरिफ डिजाइन, सब्सिडी और क्रॉस सब्सिडी के सिद्धांतों की पहचान और उपयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (आयोगों) द्वारा अधिसूचित टैरिफ नीतियां और विभिन्न विनियम।
- टैरिफ डिजाइन के सिद्धांतों की तुलना में टैरिफ डिजाइन में विभिन्न एसईआरसी द्वारा अपनाए गए टैरिफ और क्रॉस सब्सिडी की प्रकृति और सिद्धांतों और निर्धारकों का व्यापक विश्लेषण।
- क्रॉस सब्सिडी में कमी के लिए एसईआरसी द्वारा अपनाए गए उपायों की पहचान करना, यदि कोई हो।
- क्रॉस सब्सिडी को कम करने की दिशा में अब तक अपनाए गए उपायों में अंतराल की पहचान, यदि कोई हो।
- क्रॉस सब्सिडी के अवधारण के विभिन्न तरीकों की पहचान और विश्लेषण।
- क्रॉस सब्सिडी को कम करने के लिए क्रॉस सब्सिडी और रोड मैप के निर्धारण के लिए एक मॉडल का सुझाव देना।
- सिफारिशें और आगे के रास्ते।

बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से मैसर्स प्राइस वाटरहाउस कूपर्स को परामर्शदाता के रूप में नियुक्त किया गया ।

फोरम ने अध्ययन के लिए एक चरणवार दृष्टिकोण अपनाया:

- आरंभिक रिपोर्ट – इस चरण में क्रॉस सब्सिडी के पीछे आर्थिक सिद्धांत को समझना, भारत में क्रॉस–सब्सिडी के लिए विधिक और विनियामक फ्रेमवर्क की समीक्षा और भारत में राज्यों में क्रॉस सब्सिडियों की स्थिति की समीक्षा शामिल थी।
- भारतीय राज्यों में अनुभव की समीक्षा – इस चरण में 2003 से राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा और राज्यों में अपनाई गई आपूर्ति पद्धति की लागत का अध्ययन शामिल था।
- अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा – इस चरण में, सलाहकार ने फिलिपिंस, थाईलैंड, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया में क्रॉस सब्सिडी, संरचना और क्रॉस सब्सिडी के उन्मूलन के लिए उपयोग में लाई गई प्रक्रिया की समीक्षा की।
- भारत के लिए सिफारिशें – विकास के विभिन्न चरणों में भारत में क्रॉस सब्सिडी कम करने के लिए एक रोडमैप विकसित करना।
- ड्राफ्ट रिपोर्ट
- अंतिम रिपोर्ट

रिपोर्ट के निष्कर्ष निम्नलिखित हैं:

- राज्यों के प्रदर्शन की समीक्षा से पता चलता है कि एसईआरसी वित्तीय वर्ष 2010–11 तक क्रॉस सब्सिडियों को आपूर्ति की औसत लागत के +/– 20% के भीतर नीचे लाने के लिए टैरिफ नीति दिशानिर्देशों का पालन करने में असमर्थ थे।
- विद्युत अधिनियम, 2003 के अधिदेश के अनुसार सब्सिडी कवरेज को मापने के लिए आपूर्ति की औसत लागत से श्रेणी–वार आपूर्ति की लागत में जाने की आवश्यकता है। भारत के 29 राज्यों में से, केवल 11 राज्य ही इस अभ्यास को करते हैं।
- क्रॉस सब्सिडी प्रकाशित करने के लिए कार्यप्रणाली में अधिकतर पारदर्शिता आरंभ की जानी चाहिए। क्रॉस सब्सिडी के समापन को कार्यान्वित करने और राजस्व में किसी भी कमी की भरपाई के लिए जो यूटिलिटियों पर यह लगा सकता है, यूनिवर्सल चार्ज मॉडल का सुझाव दिया जाता है।

विद्युत की खुदरा बिक्री में प्रतिस्पर्धा की शुरूआत के लिए रोल आउट योजना

विद्युत मंत्रालय ने विनियामक फोरम से अनुरोध किया कि वे वितरण क्षेत्र में ढुलाई और सामग्री कारोबार को पृथक करने और उपभोक्ताओं को विद्युत के आपूर्तिकर्ता का चयन करने का विकल्प देने के लिए एक मॉडल तैयार करें। इससे मंत्रालय को राज्यों द्वारा उपयोग के लिए ''मॉडल योजना'' सुझाने में मदद मिलेगी। विनियामक फोरम ने ''विद्युत की खुदरा बिक्री में प्रतिस्पर्धा की शुरूआत के लिए रोल आउट योजना'' के संबंध में अध्ययन करने का निर्णय लिया, और अध्ययन के लिए आवश्यक कार्यों को पूरा करने में सहायता करने के लिए बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से प्राइसवाटरहाउस कूपर्स प्राइवेट लि. (पीडब्ल्यूसी) को नियुक्त किया।

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- ढुलाई और सामग्री के पृथक्करण के लिए फ्रेमवर्क के संबंध में मौजूदा साहित्य की समीक्षा करेंय
- भारत में विद्युत क्षेत्र के परिदृश्य के संबंध में विद्युत के वितरण में नेटवर्क और आपूर्ति कारोबार के पृथक्करण के लिए वैकल्पिक विविधताओं का सुझाव दें।
- ढुलाई और सामग्री के पृथक्करण के लिए एक मॉडल ढांचा विकसित करें।

असाइनमेंट पूरा करने के लिए, फोरम ने एक चरण वार दृष्टिकोण अपनाया। चरण निम्नलिखित हैं:

- विश्लेषण – इस चरण में, खुदरा आपूर्ति प्रतिस्पर्धा के कार्यान्वयन के लिए मुद्दों की पहचान करने के लिए भारतीय विद्युत क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा की वर्तमान स्थिति,

'भारत में खुदरा विद्युत आपूर्ति में प्रतिस्पर्धाओं का परिचय' के संबंध में विनियामक फोरम की रिपोर्ट, और विद्युत (संशोधन) विधेयक, 2014 की समीक्षा की गई।

- सिफारिशें – इस चरण में, रोल आउट योजना को अंतिम रूप देने के लिए हितधारकों के साथ परामर्श से खुदरा आपूर्ति प्रतिस्पर्धा की शुरुआत के लिए एक विस्तृत चरणवार योजना तैयार की गई थी। भारतीय राज्यों में विद्युत क्षेत्र के वर्तमान परिदृश्यों के आधार पर मुद्दों के प्रति विभिन्न संभावित दृष्टिकोणों के साथ वैकल्पिक रोल आउट योजना भी तैयार की गई।
- अंतिम रिपोर्ट

अंतिम रिपोर्ट ने खुदरा आपूर्ति प्रतिस्पर्धा शुरू करने के लिए निम्नलिखित चरणों का सुझाव दिया:

- डिस्कॉम का वितरण और खुदरा आपूर्ति कार्यों में कार्यात्मक पृथक्करण।
- खुदरा आपूर्ति प्रतिस्पर्धा जैसे स्वामित्व पृथक्करण, क्रॉस सब्सिडी में कमी, मीटरिंग का उन्नयन, हानि आबंटन, आदि के लिए अनुकूलित बाजार बनाने की तैयारी।
- खुदरा उपभोक्ता विकल्प देने के लिए नए खुदरा आपूर्ति लाइसेंस शुरू करने की प्रतिस्पर्धा की शुरुआत।

विद्युत बिल का मानकीकरण

विनियामक फोरम ने वर्ष 2015 में घरेलू उपभोक्ताओं के लिए ''विद्युत बिलों के मानकीकरण'' के संबंध में अध्ययन करने और सिफारिशें करने के लिए विनियामक फोरम / केविविआ के अध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कार्यकारी समूह का गठन किया ताकि उपभोक्ताओं के किसी भी वर्ग के लिए बिलों को समझना आसान हो।

अध्ययन के उद्देश्य निम्नलिखित हैं:

- सरल विद्युत बिल के एक मानक प्रारूप की सिफारिश करने के लिए जिसे देश में अपनाया जा सकता है।
- विद्युत बिलों की मौजूदा संरचना का अध्ययन करना और एक मानक प्रारूप प्रस्तावित करना जिसे समझना आसान हो, गणना की जांच करना सरल हो और यह जानना आसान हो कि भुगतान कहां और कैसे करना है।

कार्यकारी समूह ने देश में 16 राज्यों के विद्युत बिलों की जांच की और निष्कर्ष निकाला कि विद्युत बिलों में निम्नलिखित प्रमुख विशेषताएं होनी चाहिएं :

- यह सरल और समझने में आसान होना चाहिए।
- फॉन्ट का आकार दृश्यमान और पढ़ने में आसान होना चाहिए।
- जहां भी आवश्यक हो बिल की गणना प्रदान की जानी चाहिए और गणना की विधि भी बिल में इस तरह से मुद्रित होनी चाहिए कि उपभोक्ता प्रभारों की गणना को समझ सके।
- उपभोक्ता की पूरी संपर्क जानकारी और प्रासंगिक पहचान संख्या बिल में उपलब्ध होनी चाहिए ताकि उपभोक्ता को अधिक आसानी से पहचाना जा सके।
- भुगतान की राशि, बिल का महीना और भुगतान की देय तिथि बिल के शीर्ष पर उल्लिखित होना चाहिए।
- बिल में वितरण कंपनी का संपर्क विवरण होना चाहिए ताकि उपभोक्ता किसी भी कठिनाई में उनसे संपर्क कर सकें, और कॉल सेंटर के फोन नंबर और वेबसाइट के पते जैसे अन्य विवरण भी प्रदर्शित करें जहां सभी विवरण उपलब्ध हैं। यदि संभव हो, तो निर्दिष्ट क्षेत्र के क्लाइंट प्रबंधक की फोन नंबर भी प्रदर्शित किया जाना चाहिए।
- इसमें पिछली खपत का ब्यौरा और भुगतान का ब्यौरा भी होना चाहिए, विशेषतः पिछले छह महीनों के लिए। यह बिल के पीछे पेज पर दिया जा सकता है। यदि कोई मीटर नहीं पढ़ा जा सके तो यह औसत खपत के परिकलन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है।
- बिल के भुगतान की सुविधा के लिए संबंधित क्षेत्र का निकटतम भुगतान केंद्र दिया जाना चाहिए।
- बिल में उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल के संपर्क विवरण भी प्रदर्शित होने चाहिए।
- यदि आवश्यक हो तो और यदि स्थान उपलब्ध हो तो महत्वपूर्ण संदेशों के प्रदर्शन के लिए स्थान भी बिल के सामने की ओर उपलब्ध होना चाहिए।

उपरोक्त विशेषताओं को ध्यान में रखते हुए, एलटी आपूर्ति के लिए मानक बिलिंग प्रारूप को तैयार किया गया और अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया गया। मॉडल विद्युत बिल की मुख्य विशेषताएं उपभोक्ता का विवरण, उपभोक्ता की श्रेणी, स्वीकृत भार, बिल आधार, बिल अवधि, मीटर रीडिंग, बिल विवरण और परिकलन थे। यह सिफारिश की गई कि इस प्रारूप को हर राज्य आयोग द्वारा जहाँ कहीं भी आवश्यक हो, अनुकूलित किया जा सकता है। यह भी सिफारिश की गई कि विद्युत आपूर्ति कोड जो बिलिंग प्रावधानों के अनुसार हैं, उनकी समीक्षा की जा सकती है, ताकि सभी राज्यों में सामान्य बिलिंग विशेषताओं हों।

वितरण यूटिलिटियों का प्रदर्शन

विनियामक फोरम (एफओआर) ने वितरण यूटिलिटीज के प्रदर्शन का मूल्यांकन करने, और इन यूटिलिटीजं के प्रदर्शन

पर विभिन्न नीति / विनियामक निर्णयों के प्रभाव का विश्लेषण करने के लिए अध्ययन करने का फैसला किया। विनियामक फोरम ने इस अध्ययन के आयोजन के लिए बोली की पारदर्शी प्रक्रिया के माध्यम से ईवाई एलएलपी नियुक्त किया।

इस अध्ययन में, वितरण यूटिलिटीज़ के विभिन्न वित्तीय और परिचालन मुख्य प्रदर्शन संकेतक (केपीआई) / पैरामीटरों की पहचान की गई और वितरण कंपनियों के प्रदर्शन के संबंध में व्यापक मूल्यांकन किया गया। वित्तीय वर्ष 2010 से वित्तीय वर्ष 2013 तक का डेटा वार्षिक लेखापरीक्षित लेखों या पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन द्वारा ''2010–11 से 2012–13 की अवधि के लिए राज्य विद्युत यूटिलिटीज का प्रदर्शन'' के संबंध में रिपोर्ट से और संबद्ध एसईआरसी के एकत्रित किया गया है।

विचाराधीन वितरण यूटिलिटीज़ की एक दूसरे से तुलना की गई और चार श्रेणियों (लाभप्रदता, चैनल दक्षता, शोधन क्षमता और टेक्नो–कमर्शियल दक्षता) के आधार पर पांच श्रेणियों और संबद्ध बारह पारस्परिक रूप से अनन्य और सामूहिक रूप से संपूर्ण मापदंडों (प्रति यूनिट इनपुट ऊर्जा का लाभ, सकल मार्जिन (बिना सब्सिडी के), राजस्व और लागत के सीएजीआर में अंतर, प्राप्तियों के दिनों की संख्या, प्रतिदेयों के दिनों की संख्या, कैपेक्स और मूल्यह्रास का अनुपात, ब्याज सेवा कवरेज अनुपात, इक्विटी से ऋण का अनुपात, अचल आस्ति कवरेज अनुपात, सकल तकनीकी और वाणिज्यिक हानियां, प्रति यूनिट इनपुट ऊर्जा की कर्मचारी लागत और एटी एंड सी हानियां) में बांटा गया।

विश्लेषण के आधार पर, अध्ययन से निष्कर्ष निकला कि वितरण यूटिलिटीज के वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए निम्नलिखित उपायों को अपनाने की आवश्यकता है:

- समय पर टैरिफ युक्तिकरण
- वित्तीय रिपोर्टिंग में समय पर टैरिफ फाइलिंग और गुणवत्ता का प्रवर्तन
- विवेकपूर्ण विद्युत खरीद तंत्र
- पूंजी संरचना का अनुकूलन
- समयबद्ध तरीके से नियामक आस्तियों का परिसमापन
- परिचालन क्षमता में सुधार (तकनीकी और वितरण घाटे को कम करना)

2.3 क्षमता निर्माण कार्यक्रम

विनियामक फोरम (एफओआर) के प्रमुख दायित्वों में से एक विद्युत विनियामक आयोगों (ईआरसी) के कर्मियों का क्षमता निर्माण है। फोरम द्वारा वर्ष 2016–17 में निम्नलिखित प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

21–22 नवंबर, 2015 से आईआईटी कानपुर में 9वां क्षमता निर्माण कार्यक्रम और उसके बाद 24–26 नवंबर, 2015 को सिंगापुर में। कार्यक्रम के दौरान शामिल मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

- विद्युत क्षेत्र के लिए विनियमन का अर्थशास्त्र
- व्यवहार में नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ अवधारण
- विद्युत में खुदरा प्रतिस्पर्धा – मुद्दे और कार्यनीति
- नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्रों, अवधारणाओं, स्थिति और चुनौतियों के लिए बाजार
- अल्पकालिक विद्युत खरीद और निर्बाध पहुंच
- सोलर रूफटॉप– भारतीय राज्यों में नीति, विनियमन और अनुभव
- दक्षिण एशिया में प्रादेशिक विद्युत बाजार का विकास करना
- कोयला क्षेत्र में विकास – विद्युत क्षेत्र के लिए पहलू
- सिंगापुर में विद्युत क्षेत्र का विनियमन– विकास और वर्तमान आचरण
- सिंगापुर में खुदरा प्रतिस्पर्धा का कार्यान्वयन
- पवन और सौर ऊर्जा का पूर्वानुमान
- सिंगापुर/आसियान में विद्युत क्षेत्र विनियमन/विद्युत बाजार विकास
- सिंगापुर के इलेक्ट्रिक यूटिलिटीज में प्रदर्शन मानक और निगरानी
- सिंगापुर में विद्युत की संविदाएं और पावर मार्केट प्रचालन
- सिंगापुर में स्मार्ट ग्रिड परियोजना को लागू करना

25 से 26 फरवरी, 2016 तक राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में सीजीआरएफ और लोकपाल के अधिकारियों के लिए ''उपभोक्ता हितों की सुरक्षा'' के संबंध में दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान कवर किए गए मुख्य विषय इस प्रकार हैं:

- उपभोक्ता शिकायतों से निपटने के लिए प्रक्रिया– मॉडल तंत्र
- दिल्ली में उपभोक्ता शिकायत निवारण अनुभव
- ग्राहक देखभाल आचरण को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी हस्तक्षेप
- हरियाणा के उपभोक्ताओं की शिकायतों की चर्चा
- मानकों और प्रदर्शन का परिचय और बीआरपीएल के टर्नअराउंड की कहानी

- सीजीआरएफ के और विद्युत लोकपाल के समक्ष आने वाले महत्वपूर्ण विधिक मुद्दे
- विनियामक फ्रेमवर्क की भूमिका और उपभोक्ता वकालत को संस्थागत बनाना
- उपभोक्ता शिक्षा, सशक्तिकरण और वित्त पोषण के लिए संभावित विकल्प और कार्यनीतियां

28 से 29 मार्च, 2016 तक राष्ट्रीय विद्युत प्रशिक्षण संस्थान, फरीदाबाद में ''विनियमों के विधिक पहलू'' पर दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम। कार्यक्रम के दौरान मुख्य विषयों को नीचे दिया गया है:

- विद्युत अधिनियम, 2003 और विनियामक उपबंधों को सक्षम करना
- वैश्विक विद्युत कारोबार और विनियमन
- सौर विनियमों के विधिक पहलू– दिल्ली सौर नीति
- अंतर–राज्य पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग
- विद्युत क्षेत्र के विनियामक मुद्दों से संबंधित सुप्रीम कोर्ट और एपटेल के केस और महत्वपूर्ण निर्णय
- वितरण कंपनियों द्वारा प्रदर्शन के मानक का अनुपालन

3 2015–16 के दौरान विनियामक फोरम के सदस्य विनियामक निकाय की उपलब्धियां (सीईआरसी / एसईआरसी / जेईआरसी)

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग

विद्युत अधिनियम, 2003 द्वारा इसे सौंपे गए दायित्वों का संज्ञान लेते हुए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी) ने, विद्युत क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए वर्ष के दौरान कई महत्वपूर्ण पहल कीं।

वित्तीय वर्ष 2015–16 के अंत तक, नवीकरणीय ऊर्जा के अधीन कुल स्थापित क्षमता 42849.38 मेगावाट थी। इसमें से पवन ऊर्जा और सौर की क्षमता क्रमशः 26866.66 मेगावाट और 6762.85 है। शेष क्षमता छोटी हाइड्रोपावर, बायोमास, कचरे से ऊर्जा आदि के बीच शेयर हुई। भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता का लक्ष्य 175 गीगावॉट तक बढ़ा दिया है जिसमें 100 गीगावॉट सौर से, 60 गीगावॉट पवन से, 10 गीगावॉट बायोपावर से और 5 गीगावॉट छोटी हाइड्रोपावर से शामिल है। लक्ष्य में मुख्य रूप से 40 गीगावॉट रूफटॉप और बड़े और मध्यम पैमाने पर ग्रिड कनेक्टेड सौर ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से 60 गीगावॉट शामिल होंगे। इस महत्वाकांक्षी लक्ष्य के साथ, भारत कई विकसित देशों को पीछे छोड़ते हुए विश्व के सबसे बड़े हरित ऊर्जा उत्पादकों में से एक हो जाएगा। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन क्षमता में वृद्धि के लक्ष्यों के लिए आयोग ने कई उपाय किए हैं।

आयोग ने, नवीकरणीय ऊर्जा की अनिरंतर, अनिश्चित और परिवर्तनशील प्रकृति पर विचार करते हुए, अस्थिर नवीकरणीय उत्पादन (जैसे पवन और सौर) के लिए अनुसूची से पूर्वानुमान, अनुसूचीकरण और विचलन से निपटने के लिए एक फ्रेमवर्क का निर्माण किया। इस फ्रेमवर्क को पवन / सौर उत्पादनकर्ता के साथ–साथ प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र द्वारा पूर्वानुमान की आवश्यकता है। केंद्रीकृत पूर्वानुमान ग्रिड प्रबंधन के दृष्टिकोण से है और संतुलन की आवश्यकताओं के आकलन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जबकि उत्पादनकर्ता द्वारा पूर्वानुमान का लक्ष्य अनुसूची से विचलन को कम करना है। आईईजीसी और डीएसएम विनियमों में परिणामी संशोधन किए गए।

भारतीय विद्युत ग्रिड कोड (आईईजीसी) के संशोधन में सौर और पवन उत्पादनकर्ता शामिल हैं जो प्रादेशिक इकाइयां हैं। इसका उद्देश्य स्थायी रूप से नवीकरणीय ऊर्जा की बड़ी मात्रा को राष्ट्रीय ग्रिड में एकीकृत करना है। अनुसूचीकरण सुव्यवस्थित ग्रिड प्रबंधन का एक अनिवार्य घटक है। यह संशोधन बताता है कि प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र और उत्पादनकर्ता पूर्वानुमान के आधार पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अनुसूची तैयार करने के लिए कैसे अंतः क्रिया करेंगे। इन अनुसूचियों को एक दिन में 16 संशोधनों तक, प्रत्येक 1.5 घंटों में संशोधित किया जा सकता है। यह पूर्वानुमान कलन विधियां की उच्चतर सटीकता सुनिश्चित करता है, जिससे ग्रिड ऑपरेटरों को इस संबंध में अधिकतम दृश्यता मिल सकती है कि वे नवीकरणीय ऊर्जा को ग्रिड में इंजेक्ट होने की कितनी उम्मीद कर सकते हैं। यह संसाधनों के संतुलन के लिए योजना बनाने में बहुत मदद करेगा, जिससे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों की अनिरंतर प्रकृति के कारण भार–उत्पादन के असंतुलन में काफी कमी आएगी। यह उत्पादनकर्ताओं को विचलन के लिए कोई भी प्रभारों को अधिकतम करने में सक्षम बनाता है, क्योंकि वे समय–ब्लॉक के समीप बेहतर पूर्वानुमान करने में सक्षम हैं।

विचलन व्यवस्थापन तंत्र (डीएसएम) विनियमों में संशोधन नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को राज्य की सीमाओं के पार विद्युत के विक्रय के लिए व्यावसायिक तंत्र प्रदान करता है। एक बार उनके प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्रों के साथ विद्युत के अनुसूचीकरण आरंभ करने के बाद यह संभव होगा। यह तंत्र नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादनकर्ताओं को अंतर–राज्यिक बाजार में सहभागिता करने की अनुमति देता है, जिसमें उन्हें अनुसूची के अनुसार भुगतान किया जाता है और प्रादेशिक विचलन व्यवस्थापन तंत्र पूल के साथ विचलन का निपटान किया जाता है। इन स्रोतों की अनिरंतर प्रकृति का संज्ञान लेते हुए, उपलब्ध क्षमता के 15% की सहिष्णुता बैंड की अनुमति दी गई है, जिसके भीतर उत्पादनकर्ता पर कोई राजस्व प्रभाव नहीं होगा। इस त्रुटि बैंड से परे, एक श्रेणीबद्ध विचलन प्रभार लागू होगा, जिससे उत्पादनकर्ता को पूर्वानुमान विधियों की सटीकता में सुधार करने के लिए प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अलावा, रूपरेखा को ऐसे डिजाइन किया गया है कि गेमिंग की संभावना कम से कम हो गई है।

आयोग ने केविविआ (आनुषंगिक सेवा प्रचालन) विनियम, 2015 अधिसूचित किया है। रिजर्व विनियमन आनुषंगिक सेवा (आरआरएएस) का उद्देश्य ''विनियमन अप'' सेवा (जो उत्पादन में वृद्धि के लिए नोडल एजेंसी के संकेतों या अनुदेश के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए क्षमता प्रदान करता है) और ''विनियमन डाउन'' सेवा (जो उत्पादन में कमी के लिए नोडल एजेंसी के संकेतों या अनुदेश के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए क्षमता प्रदान करता है) दोनों का समर्थन करना है।

आरआरएएस का उद्देश्य वांछित स्तर पर फ्रीक्वेंसी स्तर को बहाल करना और पारेषण नेटवर्क में संकुलन को राहत देना है। विशेष रूप से, ये विनियम देश में सहायक सेवाओं को शुरू करने की दिशा में पहला कदम है जो ग्रिड में विश्वसनीयता और स्थिरता सुनिश्चित करने में ग्रिड ऑपरेटर को सक्षम बनाएगा। आरआरएएस ''विनियमन अप'' सेवा (जो उत्पादन में वृद्धि के लिए नोडल एजेंसी के संकेतों या अनुदेश के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए क्षमता प्रदान करता है) और ''विनियमन डाउन'' सेवा (जो उत्पादन में कमी के लिए नोडल एजेंसी के संकेतों या अनुदेश के प्रति प्रतिक्रिया करने के लिए क्षमता प्रदान करता है) दोनों का समर्थन प्रदान करेगा।

आयोग ने पावर एक्सचेंजों में राउंड–द–क्लॉक संव्यवहारों के लिए विस्तारित बाजार की अनुमति दी। इसका उद्देश्य वितरण कंपनियों और उत्पादनकर्ताओं को उनकी प्रणालियों को बेहतर ढंग से प्रबंधित और संतुलित करने में मदद करना है। इससे पवन और सौर क्षमताओं के बड़े पैमाने पर एकीकरण में भी मदद मिलेगी। 24x7 उत्पाद सख्त मांग पक्ष प्रबंधन के अधीन बाजार के सहभागियों की आकस्मिक आवश्यकताओं को प्रबंधित करने के लिए महत्वपूर्ण रूप से मदद करेगा।

केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 1.7.2011 से प्रभावी हुआ। इन विनियमों में राष्ट्रीय विद्युत नीति में संकल्पना के अनुसार दूरी, दिशा और प्रवाह की मात्रा के सिद्धांत पर आधारित पारेषण प्रभारों की शेयरिंग की संकल्पना की गई है। विनियमों के प्रचालन के संबंध में प्राप्त अनुभव के आधार पर, आयोग इन विनियमों (1.4.2015 को अधिसूचित) में संशोधन लाया, जिसमें पीओसी प्रभारों और हानियों के परिकलन के लिए एक पुनरीक्षित तंत्र की व्यवस्था है। इस तंत्र में अन्य बातों के साथ, लक्षित प्रदेश को दीर्घकालिक पहुंच वाले उत्पादनकर्ताओं के लिए निकासी नोड्स पर और अंतः क्षेपण नोड्स पर पारेषण प्रभारों के आबंटन शामिल है, अर्थात, किसी भी पहचाने गए लाभार्थियों के बिना, पारेषण प्रभारों का परिकलन औसत अंतःक्षेपण / आहरण के स्थान पर या तो उपयोग करने के लिए, संपर्क बिंदु दरों के लिए स्लैब में वृद्धि और तीन (3) से नौ (9) तक पीओसी के लिए अधिकतम अंतः क्षेपण / आहरण पर आधारित होगी।

हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने के उपाय के रूप में, केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर–राज्यिक पारेषण प्रभारों और हानियों की शेयरिंग) विनियम, 2010 के संशोधन (दिनांक 1.4.2015 को अधिसूचित) के माध्यम से दिनांक 30.6.2017 तक आरंभ किए जाने वाले संयंत्रों के लिए सौर आधारित उत्पादन के उपयोगी जीवन के लिए अंतर–राज्यिक पारेषण प्रणाली के उपयोग के लिए कोई भी पारेषण प्रभार और हानियां नहीं लगाए गए हैं। इसके अलावा, विश्वसनीयता लाभों के लिए विश्वसनीयता समर्थन प्रभार जो एकीकृत ग्रिड में प्रचालन के आधार पर संस्थाओं को दिया जाता है, आरंभ किया गया।

27 मार्च, 2015 को, भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय ने गैस आधारित विद्युत उत्पादन क्षमता के उपयोग के लिए एक योजना को मंजूरी दी, जिसमें अन्य बातों के साथ, विद्युत प्रणाली विकास निधि के उपयोग की व्यवस्था है। इस योजना में घरेलू गैस प्राप्त करने वाले संयंत्रों के साथ–साथ असहाय गैस आधारित संयंत्रों को आयातित स्पॉट आरएलएनजी ''ई–बिड आरएलएनजी'' की आपूर्ति की संकल्पना है। यह योजना असहाय गैस आधारित संयंत्रों और घरेलू गैस प्राप्त करने वाले उन संयंत्रों के लिए पात्र है, जिनका अप्रैल–जनवरी 2014–15 के दौरान हासिल किया गया वास्तविक औसत पीएलएफ, लक्षित पीएलएफ से कम था। योजना के कार्यान्वयन की सुविधा के लिए, आयोग ने 3 जुलाई, 2015 को केविविआ (विद्युत प्रणाली विकास निधि) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015 अधिसूचित किया, जिससे विद्युत प्रणाली के विकास के हित में केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत कोई भी योजना जो योजना के भाग के रूप में पीएसडीएफ से सहायत अपेक्षित करती है, पीएसडीएफ से सहायता के लिए पात्र होगी।

विद्युत मंत्रालय ने मौजूदा टैरिफ नीति में संशोधनों का प्रस्ताव रखा, जिसमें अन्य बातों के साथ उत्पादन आस्तियों का इष्टतम उपयोग, हाइड्रो पावर उत्पादन को बढ़ावा देना, नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देना आदि शामिल हैं। आयोग ने टैरिफ नीति में प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कई पहलुओं के संबंध में अपनी सलाह पर विचार किया। पुनरीक्षित टैरिफ नीति दिनांक 28.1.2016 को भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है।

असम विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- ड्राफ्ट एईआरसी (बहुवर्षीय टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015

- ड्राफ्ट एईआरसी (फीस आदि का भुगतान) विनियम, 2015

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- 2015–16 के लिए टैरिफ आदेश – असम पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल)
- 2015–16 के लिए टैरिफ आदेश – असम पावर जेनेरेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एपीजीसीएल)
- 2015–16 के लिए टैरिफ आदेश – असम इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एईजीसीएल)

आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एपीईआरसी (निर्बाध पहुंच के निबंधन और शर्तें (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016
- एपीईआरसी (अंतरिम संतुलन और व्यवस्थापन कोड) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016 का विनियम 2
- एपीईआरसी उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम, विद्युत लोकपाल और उपभोक्ता सहायता विनियम, 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- आंध्र प्रदेश के पारेषण निगम के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए पारेषण कारोबार के ट्रू–अप के संबंध में आदेश।
- आंध्र प्रदेश राज्य में दो (2) वितरण कंपनियों के संबंध में द्वितीय नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2009–10 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए (i) वितरण कारोबार और (ii) खुदरा आपूर्ति कारोबार के ट्रू–अप के संबंध में आदेश।
- 01.04.2014 से 31.03.2019 तक नियंत्रण अवधि के लिए ए.पी. लिमिटेड (एपीजीईएनसीओ) के जेनेरेशन कॉरपोरेशन के उत्पादनकारी स्टेशनों के टैरिफ अवधारण करने का आदेश।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विद्युत की खुदरा बिक्री के लिए टैरिफ अवधारण करने का आदेश।

अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और लोकपाल विनियम, 2015
- वितरण अनुज्ञप्तिधारी विनियम – 2016 के लिए प्रदर्शन के मानक
- नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन विनियमन (प्रथम संशोधन) 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए खुदरा टैरिफ के लिए आदेश और वित्तीय वर्ष 2012–13 के एआरआर का ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2013–14 के एआरआर की समीक्षा
- हाइड्रो पावर विकास विभाग – अरुणाचल प्रदेश सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए आदेश या खुदरा टैरिफ और वित्तीय वर्ष 2013–14 के एआरआर का ट्रू–अप, वित्तीय वर्ष 2014–15 के एआरआर की समीक्षा

बिहार विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- बिहार विद्युत आपूर्ति कोड में चौथा संशोधन
- फीस, जुर्माना और प्रभार विनियम, 2015 में चौथा संशोधन
- अधिकारियों और कर्मचारियों की भर्ती और निबंधन और शर्तें विनियम, 2014 का प्रथम संशोधन
- बीईआरसी (नेट–मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सौर ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणालियां) विनियम 2015
- वित्तीय शक्तियां विनियमन, 2015 के प्रत्यायोजन में प्रथम संशोधन
- बिहार विद्युत आपूर्ति संहिता, 2016 में 5वां संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एसबीपीडीसीएल का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एनबीपीडीसीएल का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बीएसपीजीसीएल का टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए बीएसपीटीसीएल का टैरिफ आदेश

छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों पर आधारित संयंत्रों द्वारा उत्पादित विद्युत हेतु उत्पादन टैरिफ के अवधारण और सहबद्ध मामलों के निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2013
- छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्षीय टैरिफ सिद्धांतों के अनुरूप टैरिफ के अवधारण और टैरिफ एवं प्रभारों से अनुमानित राजस्व के अवधारण हेतु अपनायी जाने वाली कार्यप्रणाली एवं प्रक्रिया तथा निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सीएसपीडीसीएल के टैरिफ आदेश और सीएसपीजीसीएल, सीएसपीटीसीएल, एसएलडीसी और सीएसपीडीसीएल के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए अंतिम ट्रू–अप

दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक (चौथा संशोधन) विनियम, 2016
- दिल्ली विद्युत आपूर्ति कोड और प्रदर्शन मानक (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वितरण अनुज्ञप्तिधारी टीपीडीडीएल, बीएसईएस–यमुना पावर लिमिटेड, बीएसईएस–राजधानी पावर लिमिटेड और एनडीएमसी–नई दिल्ली नगरपालिका परिषद के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ आदेश
- डीटीएल – दिल्ली ट्रांसको लिमिटेड, आईपीजीसीएल – इंद्रप्रस्थ पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड और पीपीसीएल – प्रगति पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ आदेश

गुजरात विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड और सहबद्ध मामले) विनियम, 2015
- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग वितरण कोड (दूसरा संशोधन) 2016
- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (बहु–वर्ष टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016
- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (बहु–वर्ष टैरिफ) विनियम, 2016
- गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (एसएलडीसी द्वारा फीस और प्रभारों की उगाही और संचयन) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016
- नवीकरणीय स्रोतों से कैप्टिव और निर्बाध पहुंच उपयोगकर्ताओं के लिए ऊर्जा की खरीद की प्रयोज्यता
- नवीकरणीय स्रोतों से कैप्टिव और निर्बाध पहुंच उपयोगकर्ताओं के लिए ऊर्जा की खरीद की प्रयोज्यता

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2014–15 के ट्रूइंग अप के लिए उत्पादन, पारेषण और वितरण यूटिलिटीज के लिए टैरिफ आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ का अवधारण
- गुजरात राज्य के लिए सौर ऊर्जा परियोजनाओं से वितरण अनुज्ञप्तिधारियों और अन्यों द्वारा विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ का अवधारण।

हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- 9 जून, 2015 को एचईआरसी (नेट मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सौर ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) विनियम, (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015
- 3 सितंबर, 2015 को एचईआरसी (प्रीपेड मीटिंग) विनियम, 2014 अधिसूचित किया गया।
- 12 अगस्त, 2015 को एचईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र से टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2010 (चौथा संशोधन) विनियम, 2015

हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से उत्पादन को बढ़ावा देना और टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (पहला संशोधन) विनियम, 2015
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नेट मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली) विनियम, 2015
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना के प्रत्यायन के लिए फीस और प्रभारों का निर्धारण) आदेश, 2015

- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत की आपूर्ति के लिए व्यय की वसूली) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (प्रतिभूति जमा) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन परियोजना और वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रत्यायन के लिए फीस और प्रभारों का निर्धारण) आदेश, 2016
- हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2016

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (गोवा और केंद्र शासित प्रदेश)

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियमन को अधिसूचित किया गया

- जेईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के लिए प्रदर्शन का मानक) विनियम, 2015

संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (मणिपुर और मिजोरम)

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2016
- मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (विद्युत आपूर्ति कोड) (दूसरा संशोधन) विनियम, 2015

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एआरआर और राजस्व के ट्रूइंग अप और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए एआरआर को मंजूरी और खुदरा टैरिफ के अवधारण के लिए आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2017–18 की नियंत्रण अवधि के लिए एआरआर की मंजूरी और विद्युत की आपूर्ति के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए खुदरा टैरिफ के अवधारण के लिए आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 से वित्तीय वर्ष 2017–18 की नियंत्रण अवधि के लिए बहु वर्ष सकल राजस्व आवश्यकता टैरिफ आदेश और मणिपुर राज्य विद्युत कंपनी लिमिटेड (एमएसपीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए टैरिफ

जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- जेकेएसईआरसी (अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015
- केएसईआरसी (नेट मीटरिंग के आधार पर ग्रिड इंटरएक्टिव रूफटॉप सौर फोटो वोल्टाइक प्रणाली) विनियम, 2015;
- जेकेएसईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों से टैरिफ अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2016;
- 2017–18 से आगे 2021–22 तक के लिए आरपीओ लक्ष्य
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निर्बाध पहुंच ग्राहकों पर लागू पारेषण / वितरण (व्हीलिंग प्रभार) और अन्य प्रभार

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए राज्य विद्युत विकास विभाग (वितरण यूटिलिटी) के लिए पारेषण टैरिफ के संबंध में आदेश
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए जम्मू–कश्मीर राज्य विद्युत विकास निगम (उत्पादन यूटिलिटी) के 21 हाइड्रो उत्पादनकारी स्टेशनों के लिए वार्षिक नियत प्रभार और उत्पादन टैरिफ के संबंध में आदेश।
- वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों (आरईएस) के लिए सामान्यीकृत स्तरित टैरिफ के संबंध में आदेश

झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- जेएसईआरसी (विद्युत आपूर्ति कोड) विनियम, 2015
- जेएसईआरसी (वितरण अनुज्ञप्तिधारियों के प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2015
- जेएसईआरसी (उत्पादन टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015
- जेएसईआरसी (पारेषण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015
- जेएसईआरसी (वितरण टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015
- जेएसईआरसी (रूफटॉप सौर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली और निवल/सकल मीटरिंग) विनियम, 2015

- जेएसईआरसी (सौर पीवी विद्युत परियोजना और सौर थर्मल विद्युत परियोजना से विद्युत की खरीद के लिए टैरिफ का अवधारण)

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- टाटा पावर कंपनी लिमिटेड (टीपीसीएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 (वित्तीय वर्ष 2011–12 के लिए पुनरीक्षित ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए ट्रू अप) के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा याचिका के संबंध में आदेश
- टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित एआरआर और टैरिफ के संबंध में आदेश
- जमशेदपुर यूटिलिटीज एंड सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (जेयूएससीओ) के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ट्रू अप और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2015–16 के पुनरीक्षित एआरआर और टैरिफ के संबंध में आदेश
- झारखंड ऊर्जा संचारण निगम लि. (जेयूएसएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 (6 जनवरी, 2014 से 31 मार्च 2014) और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एआरआर की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर और पारेषण टैरिफ के संबंध में अनंतिम टैरिफ आदेश
- झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) के लिए वित्तीय वर्ष 2013–14 (6 जनवरी 14 – 31 मार्च 14) और वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए एआरआर की समीक्षा और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर और वितरण टैरिफ के संबंध में अनंतिम टैरिफ आदेश

कर्नाटक विद्युत नियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- केईआरसी (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2015
- केईआरसी (नवीकरणीय स्रोतों से ऊर्जा की खरीद) विनियम, 2015 का तृतीय संशोधन
- केईआरसी (निर्बाध पहुंच के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 में तृतीय संशोधन
- कर्नाटक विद्युत ग्रिड कोड (केईजीसी), 2015
- केईआरसी स्मार्ट ग्रिड विनियम –2015

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 14 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के संबंध में बीईएससीओएम के लिए कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश 2015 और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए पुनरीक्षित एआरआर और खुदरा आपूर्ति टैरिफ
- वित्तीय वर्ष 14 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के संबंध में सीईएससी के लिए कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश 2015 और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए पुनरीक्षित एआरआर और खुदरा आपूर्ति टैरिफ
- वित्तीय वर्ष 14 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के संबंध में जीईएससीओएम के लिए कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश 2015 और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए पुनरीक्षित एआरआर और खुदरा आपूर्ति टैरिफ
- वित्तीय वर्ष 14 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के संबंध में एचईएससीओएम के लिए कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश 2015 और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए पुनरीक्षित एआरआर और खुदरा आपूर्ति टैरिफ
- वित्तीय वर्ष 14 के लिए वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के संबंध में एमईएससीओएम के लिए कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश 2015 और वित्तीय वर्ष 2016 के लिए पुनरीक्षित एआरआर और खुदरा आपूर्ति टैरिफ
- वित्तीय वर्ष 14 के लिए केपीटीसीएल वार्षिक प्रदर्शन समीक्षा के लिए कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग टैरिफ आदेश 2015 और वित्तीय वर्ष 16 के लिए पुनरीक्षित एआरआर और खुदरा आपूर्ति टैरिफ

केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- केरल विद्युत आपूर्ति कोड (कठिनाइयों को दूर करना) पांचवां आदेश, 2015
- केरल विद्युत आपूर्ति (संशोधन) कोड, 2015
- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (वितरण अनुज्ञप्तिधारी के प्रदर्शन के मानक) विनियम, 2015
- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (ग्रिड इंटरएक्टिव वितरित सौर ऊर्जा प्रणालियां) संशोधन विनियम, 2016
- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम और विद्युत लोकपाल) संशोधन विनियम, 2016
- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों की सेवा की निबंधन और शर्तें) विनियम, 2016

- केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (नवीकरणीय ऊर्जा) विनियम, 2015

महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एमईआरसी (बहु वर्ष टैरिफ) विनियम, 2015
- एमईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015 (प्रथम संशोधन)
- एमईआरसी (रूफ–टॉप सौर फोटो वोल्टाइक प्रणालियों के लिए नेट मीटरिंग) विनियम, 2015 के अधीन अभ्यास निर्देश
- एमईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015
- एमईआरसी (रूफ–टॉप सौर फोटो वोल्टाइक प्रणालियों के लिए नेट मीटरिंग) विनियम, 2015

मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एमपीईआरसी (विद्युत की आपूर्ति और व्हीलिंग के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें और प्रभारों के निर्धारण के लिए टैरिफ के निर्धारण के लिए पद्धतियाँ और सिद्धांत) विनियम, 2015
- मध्य प्रदेश विद्युत आपूर्ति कोड, 2013 (प्रथम संशोधन)
- एमपीईआरसी (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन और उत्पादन) (पुनरीक्षण–I) विनियम, 2010 का चौथा संशोधन
- एमपीईआरसी (ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों से विद्युत का सहउत्पादन और उत्पादन) (पुनरीक्षण–I) विनियम, 2010 का पांचवां संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- बहु वर्ष टैरिफ सिद्धांतों के अधीन मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पूर्व डिस्कॉम), मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (केन्द्रीय डिस्कॉम) और मध्य प्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (पश्चिम डिस्कॉम) द्वारा किए गए ट्रू अप आवेदनों के आधार पर वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए एमपीईआरसी द्वारा निर्धारित सकल राजस्व आवश्यकता के ट्रू–अप का अवधारण।
- दिनांक 01 अप्रैल, 2013 के बहु–वर्ष टैरिफ आदेश के माध्यम से एमपी विद्युत विनियामक आयोग द्वारा निर्धारित वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एमपीपीजीसीएल के थर्मल और हाइड्रो विद्युत स्टेशनों की उत्पादन टैरिफ का ट्रू अप
- एमपीपीटीसीएल, जबलपुर द्वारा दायर याचिका के आधार पर वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए पारेषण टैरिफ के ट्रू–अप का अवधारण
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा आपूर्ति टैरिफ

मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- एम.एस.ई.आर.सी. (नेट मीटरिंग पर आधारित रूफटॉप सौर ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणालियां) विनियम, 2015
- एम.एस.ई.आर.सी. (नवीकरणीय खरीद दायित्व और उसका अनुपालन) विनियम, 2015
- एम.एस.ई.आर.सी. (मांग पक्ष प्रबंधन) विनियम, 2016

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- 2016–2017 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और वितरण टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश
- 2016–2017 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और उत्पादन टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश
- 2016–2017 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और पारेषण टैरिफ के लिए टैरिफ आदेश
- 2016–2017 के लिए राज्य भार प्रेषण केन्द्र के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता के लिए टैरिफ आदेश

नागालैंड विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:

- नागालैंड राज्य में वित्तीय वर्ष 2016–17 के लिए विद्युत विभाग, नागालैंड सरकार (डीपीएन) द्वारा विद्युत की बिक्री के लिए सकल राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा टैरिफ के अवधारण के लिए टैरिफ आदेश

ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- ओडिशा ग्रिड कोड (ओजीसी) विनियम, 2015 का प्रकाशन
- ओईआरसी वितरण (आपूर्ति की शर्तें) कोड, 2004 का संशोधन

- ओपीटीसीएल के वित्तीय वर्ष 2014–15 के दौरान प्रणाली प्रदर्शन का प्रकाशन
- अंतःराज्यिक पारेषण योजना को अंतिम रूप देना। ओडिशा ग्रिड कोड 2015 का प्रकाशन।
- ओईआरसी (आपूर्ति की शर्तें) कोड, 2004 का संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- दिनांक 23.03.15 को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए वार्षिक राजस्व आवश्यकता और टैरिफ आदेश
- रूफ टॉप सौर पीवी परियोजनाओं के संबंध में नेट मीटरिंग / द्वि–दिशात्मक मीटरिंग और उनकी संयोजकता के संबंध में आदेश

पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग नवीकरणीय खरीद बाध्यता और इसका अनुपालन (प्रथम संशोधन)।
- नेट मीटरिंग पर आधारित ग्रिड इंटरएक्टिव रूफ टॉप सौर फोटो वोल्टाइक प्रणालियां।
- प्रभावी होने की तारीख के संबंध में, पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ) विनियम, 2015 के प्रवर्तन के लिए पहली नियंत्रण अवधि और प्रभावी तिथि।
- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के लिए नियम और शर्तें (5वां संशोधन)
- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (तीसरा संशोधन)।
- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (4वां संशोधन)।
- विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 181 के साथ पठित धारा 87 के अधीन पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग द्वारा राज्य सलाहकार समिति का गठन।
- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रक्रिया (सीसीएचपी) (प्रथम संशोधन)।
- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) (5वां संशोधन)।
- अंतःराज्यिक निर्बाध पहुंच के लिए पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग निबंधन और शर्तें (6वां संशोधन)
- पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (उत्पादन, पारेषण, व्हीलिंग और खुदरा आपूर्ति टैरिफ के निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015
- अंतः राज्यिक निर्बाध पहुंच के लिए पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग निबंधन और शर्तें (6वां संशोधन)
- आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं।
- 05 मई 2015 को वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के लिए टैरिफ आदेश

राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड के पारेषण और एसएलडीसी प्रभारों की वसूली के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर और टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एआरआर का ट्रू अप।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए डिस्कॉम्स की वार्षिक राजस्व आवश्यकता (एआरआर) और खुदरा आपूर्ति टैरिफ का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए एआरआर के ट्रू–अप को मंजूरी और वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए निवेश योजना।
- आरवीयूएन के पावर स्टेशनों के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ और एआरआर का अवधारण और वित्तीय वर्ष 2012–13 के लिए ट्रू अप
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान लागू सोलर पीवी और सोलर थर्मल विद्युत परियोजनाओं के लिए बेंचमार्क पूंजीगत लागत का अवधारण और परिणामी जेनेरिक स्तरीकृत टेरिफ।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आरंभ होने वाले वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को राज्य में पवन ऊर्जा संयंत्रों से विद्युत की बिक्री के लिए सामान्य टैरिफ का निर्धारण।
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य में आरंभ होने वाले बायोमास, बायोगैस और बायोमास गैसीफायर आधारित विद्युत संयंत्रों से वितरण अनुज्ञप्तिधारी को विद्युत की बिक्री के लिए जेनेरिक टैरिफ का अवधारण और 2009–15 की अवधि के दौरान आरंभ हुए बायोमास विद्युत संयंत्रों के पुनरीक्षित परिवर्तनीय प्रभार

सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दाखिल करने की प्रक्रिया)

विनियम, 2015

- सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बहुवर्ष टैरिफ) (प्रथम संशोधन) विनियम, 2015

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:

- ऊर्जा और विद्युत विभाग, सिक्किम सरकार के लिए वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ आदेश

त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- नवीकरणीय ऊर्जा विनियम – 2015 (बहुवर्ष टैरिफ)
- टैरिफ विनियम – 2015 (बहुवर्ष टैरिफ)
- कारोबार का संचालन विनियम – 2015

तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- प्रदर्शन के वितरण मानक में संशोधन
- नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता विनियम, 2010 में संशोधन

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- सौर विद्युत पर व्यापक टैरिफ आदेश
- तमिलनाडु सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ सब्सिडी का प्रावधान
- बागसे आधारित सह–उत्पादन संयंत्रों के लिए व्यापक टैरिफ आदेश
- बायोमास आधारित विद्युत संयंत्रों के लिए व्यापक टैरिफ आदेश
- टीएनईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा खरीद बाध्यता) विनियम, 2010 के अधीन वर्ष 2015–16 के लिए टंगेडको द्वारा प्रतिदेय विद्युत खरीद की पूल लागत के संबंध में आदेश।

तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण के लिए तंत्र की स्थापना विनियम, 2015
- कारोबार का संचालन विनियम, 2015

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किया है:

- तीसरी नियंत्रण अवधि वित्तीय वर्ष 2014–15 से वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए वितरण कारोबार के लिए व्हीलिंग टैरिफ आदेश

उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- यूपीईआरसी (रूफटॉप सोलर पीवी ग्रिड इंटरएक्टिव प्रणाली ग्रॉस / नेट मीटरिंग) विनियम, 2015 (आरएसपीवी विनियम 2015)

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए डीवीवीएनएल आदेश
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए केस्को आदेश
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए एमवीवीएनएल आदेश
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए एनपीसीएल आदेश
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए पीयूवीवीएनएल आदेश
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए दिनांक 18/06/15 का पीवीवीएनएल आदेश
- वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए एआरआर और टैरिफ के लिए यूपीपीटीसीएल आदेश

उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग

वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग द्वारा निम्नलिखित विनियम अधिसूचित किए गए

- पूर्ववर्ती विनियम यूईआरसी (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियमन, 2011 को निरस्त करते हुए यूईआरसी (बहु वर्ष टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन और शर्तें) विनियम, 2015
- यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015

- यूईआरसी (नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और गैर–जीवाश्म ईंधन आधारित सह उत्पादक स्टेशनों से विद्युत की आपूर्ति के लिए टैरिफ और अन्य शर्तें) (तीसरा संशोधन) विनियम, 2015

आयोग ने निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- यूपीसीएल के लिए टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ याचिका की मंजूरी के लिए राज्य में वितरण अनुज्ञप्तिधारी।
- यूजेवीएन लिमिटेड के लिए टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए टैरिफ याचिका की मंजूरी के लिए उत्तराखंड राज्य में उत्पादनकारी कंपनी।
- पीटीसीयूएल के लिए टैरिफ आदेश, वित्तीय वर्ष 2004–05 से वित्तीय वर्ष 2013–14 के लिए ट्रूइंग के साथ वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए राज्य में पारेषण अनुज्ञप्तिधारी।

पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग

आयोग ने वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान निम्नलिखित आदेश जारी किए हैं:

- वर्षों 2009–2010, 2010–2011, 2011–2012, 2012–2013 और 2013– 2014 के लिए डीवीसी का टैरिफ आदेश
- वर्ष 2015 – 2016 के लिए डब्ल्यूबीएसईडीसीएल का टैरिफ आदेश
- वर्ष 2015 – 2016 के लिए सीईएससी लिमिटेड का टैरिफ आदेश
- वर्ष 2015 – 2016 के लिए डब्ल्यूबीएसईटीसीएल का टैरिफ आदेश
- वर्ष 2015 – 2016 के लिए डब्ल्यूबीपीडीसीएल का टैरिफ आदेश
- वर्ष 2014–2015 और 2015–2016 के लिए डीवीसी का टैरिफ आदेश

4 राष्ट्रीय विद्युत नीति और टैरिफ नीति से संबंधित मुद्दों पर स्थिति रिपोर्ट

1. वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग की टैरिफ अनुसूची (**अनुबंध– I**)
2. वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान राज्य विद्युत विनियामक आयोग के आदेशों की समयबद्धता (**अनुबंध– II**)
3. 31 मार्च, 2016 को एपटेल को सौंपी गई रिपोर्ट के आधार पर, वित्तीय वर्ष 2015–16 के दौरान सीजीआरएफ और लोकपाल की कार्यप्रणाली (**अनुबंध– III**)

5 एसईआरसी के अध्यक्ष की सूची

विनियामक मंच के सदस्य (एफओआर) (31–03–2016 तक की स्थिति)		
विनियामक मंच के अध्यक्ष		
01.	श्री गिरीश बी प्रधान	केंद्रीय विद्युत विनियामक आयोग (सीईआरसी)
विनियामक मंच के सदस्य		
02.	श्री जी भवानी प्रसाद न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)	आंध्र प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एपीईआरसी)
03.	–––	अरुणाचल प्रदेश राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एपीएसईआरसी)
04.	श्री नाबा कुमार दास	असम विद्युत विनियामक आयोग (एईआरसी)
05.	श्री एस के नेगी	बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग (बीईआरसी)
06.	श्री नारायण सिंह	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत विनियामक आयोग (सीएसईआरसी)
07.	श्री कृष्ण सैनी	दिल्ली विद्युत विनियामक आयोग (डीईआरसी)
08.	श्री आनंद कुमार	गुजरात विद्युत विनियामक आयोग (जीईआरसी)
09.	श्री जगजीत सिंह	हरियाणा विद्युत विनियामक आयोग (एचईआरसी)
10.	श्री एस.के.बी.एस. नेगी	हिमाचल प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एचपीईआरसी)
11.	श्री बशारत अहमद धर	जम्मू और कश्मीर राज्य विद्युत विनियामक आयोग (जेएंडकेएसईआरसी)
12.	श्री नरेंद्र नाथ तिवारी न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त)	झारखंड राज्य विद्युत विनियामक आयोग(जेएसईआरसी)
13.	श्री एस के चतुर्वेदी	संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (जेईआरसी) गोवा और केंद्र शासित प्रदेशों के लिए
14.	श्री आर.के. किशोर सिंह	मणिपुर और मिजोरम के लिए संयुक्त विद्युत विनियामक आयोग (एमएंडएम के लिए जेईआरसी)
15.	श्री एम.के. शंकरलिंगे गोड़ा	कर्नाटक विद्युत विनियामक आयोग (केईआरसी)
16.	श्री टी.एम. मनोहरन	केरल राज्य विद्युत विनियामक आयोग (केएसईआरसी)
17.	डॉ देव राज बिर्डी	मध्य प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (एमपीईआरसीसी)
18.	–––	महाराष्ट्र विद्युत विनियामक आयोग (एमईआरसी)
19.	–––	मेघालय राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एमएसईआरसीसी)
20.	श्री इमलीकुमजुक ए.ओ.	नागालैण्ड विद्युत विनियामक आयोग (एनईआरसी)

21.	श्री सत्य प्रकाश नंदा	ओडिशा विद्युत विनियामक आयोग (ओईआरसी)
22.	श्री डी.एस. बैंस	पंजाब राज्य विद्युत विनियामक आयोग (पीएसईआरसीसी)
23.	श्री विश्वनाथ हिरेमठ	राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग (आरईआरसी)
24.	श्री नंदा राम भट्टराई	सिक्किम राज्य विद्युत विनियामक आयोग (एसएसईआरसी)
25.	श्री एस अक्षय कुमार	तमिलनाडु विद्युत विनियामक आयोग (टीएनईआरसी)
26.	श्री इस्माइल अली खान	तेलंगाना राज्य विद्युत विनियामक आयोग (टीएसईआरसी)
27.	श्री निहारेंदु चक्रवर्ती	त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग (टीईआरसी)
28.	श्री देश दीपक वर्मा	उत्तर प्रदेश विद्युत विनियामक आयोग (यूपीईआरसी)
29.	श्री सुभाष कुमार	उत्तराखंड विद्युत विनियामक आयोग (यूईआरसी)
30.	श्री रवीन्द्र नाथ सेन	पश्चिम बंगाल विद्युत विनियामक आयोग (डब्ल्यूबीईआरसी)

लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

सेवा में,
सचिव
विनियामक फोरम,
मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग
तृतीय व चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग
36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

हमने 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार विनियामक फोरम की संलग्न तुलन पत्र और उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय की लेखापरीक्षा की है। यह वित्तीय विवरण प्राथमिक रूप से विनियामक फोरम का उत्तरदायित्व है। हमारा उत्तरदायित्व हमारे लेखा परीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणियों पर राय व्यक्त करना है।

हमने भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखा मानकों के अनुसार लेखा परीक्षा की है। इन मानकों में यह अपेक्षा है कि उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए हम लेखा परीक्षा की योजना बनाते हैं और कार्यनिष्पादन करते हैं कि वित्तीय विवरणी गलत विवरणों से मुक्त हैं। लेखा परीक्षा में वित्तीय विवरणों में रकम एवं प्रकटन का समर्थन करने वाले परीक्षण आधार साक्ष्यों की जांच शामिल है। इसमें समूची वित्तीय विवरणी प्रस्तुति का मूल्यांकन करते हुए शामिल किया जाता है।

इसके अलावा, क्षमता निर्माण के लिए विद्युत मंत्रालय से विनियामक फोरम द्वारा प्राप्त रु. 89.15 लाख की वित्तीय सहायता राशि प्राप्त की गई जिसमें से रु. 23.27 लाख वित्तीय वर्ष 2016–17 में आगे ले जाए गए।

हमारी राय में और हमारी सूचना के अनुसार और हमारे द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार वित्तीय विवरणियों में भारत में सामान्य रूप से स्वीकृत लेखागत सिद्धांतों के अनुसार इस उचित एवं सही रूप में दिया गया है:

क) 31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार फोरम के कार्यों के तुलन पत्र के मामलें में और
ख) आय एवं व्यय लेखा के मामले में, उस तारीख को समाप्त वर्ष के लिए अधिशेष।

कृते एमबीआर एंड कंपनी

सनदी लेखाकार
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
(मुकेश शर्मा)
साझेदार
सदस्यता सं. 511275
स्थानः नई दिल्ली
तारीखः 22/07/2016

31 मार्च, 2016 की स्थिति के अनुसार तुलन पत्र

(राशि– रु. में)

विवरण	अनुसूची	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार
निधि का स्रोत			
कोरपस निधि		37,010,643	37,010,643
योजना निधि (क्षमता निर्माण व परामर्श)	**1**	2,326,800	8,749,064
एमएनआरई निधि (आरईसी फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन)	**2**	11,421,380	10,885,016
अधिशेष निधि (आय एवं व्यय खाते से अंतरित)	**3**	33,626,421	26,736,295
चालू देयताएं			
प्रतिदेय व्यय	**4**	603,959	2,899,374
प्रतिदेय प्रतिभूति जमा		104,000	–
अन्य देयताएं		538,062	–
कुल		**85,631,265**	**86,280,392**
निधि का प्रयोग			
अचल आस्तियाँ	**5**		
सकल अचल आस्तियाँ		798,272	616,409
घटाः मूल्यह्रास		631,631	572,429
निवल अचल आस्तियाँ		**166,641**	**43,980**
चालू आस्तियाँ, ऋण एवं अग्रिम			
ऋण एवं अग्रिम	6	4,115,643	2,647,477
जमा प्रतिभूति (एमटीएनएल)		3,000	3,000
नकद एवं बैंक शेष	7	81,345,981	83,585,935
कुल		**85,631,265**	**86,280,392**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

31 मार्च, 2016 को समाप्त वर्ष के लिए आय एवं व्यय खाता

(राशि– रु. में)

विवरण	31.03.2016 की स्थिति के अनुसार		31.03.2015 की स्थिति के अनुसार	
आय				
सदस्यता अंशदान		18,000,000		9,000,000
बचत खाते पर ब्याज		1,013		969
कोरपस निधि एफडीआर पर ब्याज (टीडीएस= ₹ 321579/–)		3,219,470		3,591,298
ऑटो स्वीप एफडीआर पर ब्याज (टीडीएस =₹ 278757/–)		2,783,773		2,419,088
आयकर रिफंड से ब्याज		94,434		63,647
आरटीआई फीस		–		20
कुल – क		**24,098,690**		**15,075,023**
व्यय				
बैठक व सेमिनार व्यय		2,271,565		2,330,275
वेतन व्यय		1,527,103		2,850,765
व्यावसायिक फीस (स्टाफ परामर्शदाता)		2,251,838		–
क्षमता निर्माण व परामर्श		6,696,679		4,216,509
सचिवालय व्ययः				
विज्ञापन व प्रचार व्यय	188,081		596,222	
लेखापरीक्षा शुल्क	25,300		27,527	
बैंक प्रभार	330		213	
कंप्यूटर मरम्मत एवं रखरखाव पर व्यय	–		3,260	
मूल्यह्रास	59,202		14,649	
श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	1,126,040		732,379	
विधिक एवं व्यावसायिक प्रभार	5,000		201,666	
अन्य व्यय	96,401		32,686	
टेलिफोन व्यय	25,180		23,977	
मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	1,203,832		75,421	
यात्रा व्यय	127,013		60,562	
प्रशासनिक व्यय	1,600,000	4,456,379	1,600,000	3,368,562
कुल – ख		**17,203,564**		**12,766,111**
घटाः पूर्व अवधि व्यय		**5,000**		–
वर्ष के दौरान अर्जित अधिशेष/(घाटा) (क–ख)		**6,890,126**		**2,308,912**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

अनुसूची–1

योजना निधि (परामर्श व क्षमता निर्माण)

(राशि– रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–2016	वित्तीय वर्ष 2014–2015
आरंभिक शेष	8,749,064	9,312,743
जोड़ें :		
प्राप्त ब्याज (टीडीएस = ₹ 41401/–)	415,100	1,176,144
वर्ष के दौरान विद्युत मंत्रालय से प्राप्त निधि	8,915,594	7,500,000
कुल (क)	**18,079,758**	**17,988,887**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग:		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	2,973,931	1,980,888
क्षमता निर्माण	1,503,447	1,485
बैंक प्रभार	244	847
विद्युत मंत्रालय को वापस किया गया अर्जित ब्याज	652,237	1,355,068
विद्युत मंत्रालय को वापस की गई अव्ययित वित्तीय सहायता	10,371,846	5,901,535
कुल (ख)	**15,501,705**	**9,239,823**
कुल (क–ख)	**2,578,053**	**8,749,064**
घटा: अन्य देयताओं को अंतरित किया गया टीडीएस	**251,253**	–
अगले वर्ष में ले जाया गया शेष*	**2,326,800**	**8,749,064**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

अनुसूची–2

एमएनआरई निधि (नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाण पत्र फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन)

(राशि– रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–2016	वित्तीय वर्ष 2014–2015
आरंभिक शेष	10,885,016	9,805,454
जोड़ें :		
प्राप्त ब्याज (टीडीएस = ₹ 82225/–)	823,325	920,592
वित्तीय सहायता की अव्ययित राशि के लिए रिफंड	–	**159,000**
कुल (क)	11,708,341	10,885,046
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग		
नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र फ्रेमवर्क का कार्यान्वयन	–	–
बैंक प्रभार	152	30
कुल (ख)	**152**	**30**
कुल (क–ख)	**11,708,189**	**10,885,016**
घटा: अन्य देयताओं को अंतरित किया गया टीडीएस	**286,809**	–
अगले वर्ष में ले जाया गया शेष*	**11,421,380**	**10,885,016**

*एमएनआरई खाते में रखी समग्र निधि को एमएनआरई को दिनांक 22.04.2016 को वापस किया गया

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

अनुसूची–3

अधिशेष निधि

(राशि– रु. में)

विवरण	वित्तीय वर्ष 2015–2016	वित्तीय वर्ष 2014–2015
आरंभिक शेष	26,736,295	24,427,383
जोड़ें : वर्ष के दौरान अर्जित अधिशेष/(घाटा) (आय एवं व्यय खाते के अनुसार)	6,890,126	2,308,912
कुल	**33,626,421**	**26,736,295**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

अनुसूची–4

अधिशेष निधि

(राशि– रु. में)

विवरण	31–03–2016 की स्थिति के अनुसार	31–03–2015 की स्थिति के अनुसार
प्रतिदेय प्रशासकीय लागत (केविविआ को सचिवालय लागत)	–	1,600,000
प्रतिदेय विज्ञापन एवं प्रचार व्यय	52,984	93,430
प्रतिदेय लेखापरीक्षा फीस	25,300	25,080
प्रतिदेय कैंटीन व्यय	3,510	3,245
प्रतिदेय श्रम (आउटसोर्सिंग) व्यय	97,863	88,365
प्रतिदेय बैठक व्यय	–	201,627
प्रतिदेय मुद्रण एवं लेखन सामग्री व्यय	–	250
प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (फोरम की निधि)	5,000	128,333
प्रतिदेय व्यावसायिक प्रभार (स्टाफ परामर्शदाता)	368,000	–
प्रतिदेय वेतना	45,980	351,352
प्रतिदेय टेलिफोन व्यय	5,322	4,544
प्रतिदेय प्रशिक्षण व्यय (फोरम की निधि)	–	403,148
कुल	**603,959**	**2,899,374**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

31 मार्च 2016 की स्थिति के अनुसार अचल आस्तियों की अनुसूची

विवरण	सकल ब्लॉक				मूल्यह्रास						नेट ब्लॉक	
	01.04.2015 को लागत/ मूल्यांकन	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियाँ	वर्ष के अंत में लागत/ मूल्यांकन	01.04.2015 की स्थिति के अनुसार	आरंभ में	वर्ष के दौरान अभिवृद्धियां	वर्ष के दौरान कटौतियों पर	WRIT-TEN BACK	31.03.2016 तक कुल	31.03. 2016 की स्थिति के अनुसार	31.03.2015 की स्थिति के अनुसार
कंप्यूटर	509,045	161,913	–	670,958	504,121	2,954	48,574	–	–	555,649	115,309	4,924
प्रिंटर	32,198	19,950	–	52,148	19,581	1,893	1,496	–	–	22,970	29,178	12,617
हीट ब्लोवर	16,200	–	–	16,200	8,378	1,173	–	–	–	9,551	6,649	7,822
माइक्रोवेव	7,200	–	–	7,200	3,724	521	–	–	–	4,245	2,955	3,476
यूपीएस	17,451	–	–	17,451	9,025	1,264	–	–	–	10,289	7,162	8,426
वॉइस रिकॉर्डर	6,490	–	–	6,490	487	900	–	–	–	1,387	5,103	6,003
लैपटॉप	27,825	–	–	27,825	27,113	427	–	–	–	27,540	285	712
कुल	616,409	181,863	–	798,272	572,429	9,132	50,070	–	–	631,631	166,641	43,980
पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान आंकड़े	609,919	6,490	–	616,409	557,780	14,162	487	–	–	572,429	43,980	

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

अनुसूची–6

ऋण और अग्रिम

(राशि– रु. में)

विवरण	31–03–2016 की स्थिति के अनुसार	31–03–2015 की स्थिति के अनुसार
स्रोत पर काटा गया कर		
वित्तीय वर्ष 2005–2006 के स्रोत पर काटा गया कर	**22,073**	22,073
वित्तीय वर्ष 2006–2007 के स्रोत पर काटा गया कर	**261,060**	261,060
वित्तीय वर्ष 2007–2008 के स्रोत पर काटा गया कर	**453,260**	453,260
वित्तीय वर्ष 2008–2009 के स्रोत पर काटा गया कर – बैंक ऑफ इंडिया	**98,840**	98,840
वित्तीय वर्ष 2008–2009 के स्रोत पर काटा गया कर – सीबी	**402,430**	402,430
वित्तीय वर्ष 2009–2010 के स्रोत पर काटा गया कर – बैंक ऑफ इंडिया	**315,090**	315,090
वित्तीय वर्ष 2009–2010 के स्रोत पर काटा गया कर – सीबी	**17,509**	17,509
वित्तीय वर्ष 2010–2011 के स्रोत पर काटा गया कर	**313,954**	313,954
	1,884,216	1,884,216
वित्तीय वर्ष 2011–2012 के स्रोत पर काटा गया कर	**483,006**	483,006
वित्तीय वर्ष 2013–2014 के स्रोत पर काटा गया कर	–	681,937
वित्तीय वर्ष 2014–2015 के स्रोत पर काटा गया कर	–	810,529
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के स्रोत पर काटा गया कर	**723,962**	–
वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए अग्रिम कर	**1,861,135**	–
	4,952,319	3,859,688
घटाएं: संदिग्ध ऋण एवं अग्रिमों के लिए प्रावधान (अर्थात् पूर्व वर्षों के लिए प्राप्य टीडीएस)	**1,884,216**	1,884,216
कुल (क)	**3,068,103**	**1,975,472**
उपचित ब्याज		
कॉर्पोरेशन बैंक के साथ कोरपस निधि एफडीआर पर उपचित ब्याज	**118,682**	**135,748**
कॉर्पोरेशन बैंक के साथ ऑटो स्वीप एफडीआर पर उपचित ब्याज	**401,932**	208,456
बैंक ऑफ इंडिया के साथ ऑटो स्वीप एफडीआर पर उपचित ब्याज	**148,513**	273,065
कुल (ख)	**669,128**	**617,269**
अन्य		
सहायक संपदा निदेशक (नकद), विज्ञान भवन, नई दिल्ली	**18,200**	**18,200**
सिविल सर्विसेज ऑफिसर्ज इंस्टीट्यूट	–	**11,536**
नैशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन (वेबसाइट लोगो डिजाइनिंग)	**342,000**	–
बैठक के लिए अग्रिम	**18,212**	–
ओल्ड वर्ल्ड हॉस्पिटेलिटी प्रा. लि.	–	**25,000**
कुल (ग)	**378,412**	**54,736**
कुल योग (क+ख+ग)	**4,115,643**	**2,647,477**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

अनुसूची–7

31–03–2016 की स्थिति के अनुसार नकद और बैंक शेष

(राशि– रु. में)

विवरण	31–03–2016 की स्थिति के अनुसार	31–03–2015 की स्थिति के अनुसार
नकद खाता – अग्रदाय	**2,500**	2,500
बैंक ऑफ इंडिया – 2806 (एमएनआरई निधियां)	**25,752**	25,371
बैंक ऑफ इंडिया – 2258 (योजना निधियां)	**29,398**	25,439
कॉर्पोरेशन बैंक – सीएनपीएसबी/01/140004	**15,754**	15,508
कॉर्पोरेशन बैंक –सीएलएसबी/01/120018	–	15,125
ऑटोस्वीप/फ्लैक्सी जमा में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों में जमाः		
बैंक ऑफ इंडिया के पास (एमएनआरई खाता)	**11,258,666**	10,522,336
बैंक ऑफ इंडिया के पास (प्लान खाता)	**2,285,851**	8,373,432
कॉर्पोरेशन बैंक के पास (फोरम का खाता)	**30,717,418**	27,595,581
एफडीआर में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमाः		
कॉर्पोरेशन बैंक के पास (कोरपस निधि)	37,010,643	37,010,643
कुल	**81,345,981**	**83,585,935**

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

वित्तीय वर्ष 2015–2016 के लिए सरकार की वित्तीय सहायता का लेखा विवरण

(राशि– रु. में)

विवरण	31–03–2016 की स्थिति के अनुसार	31–03–2015 की स्थिति के अनुसार
आरंभिक शेष	8,749,064	9,312,743
जोड़ें:		
प्राप्त ब्याज (टीडीएस = ₹ 41401/–)	415,100	1,176,144
विद्युत मंत्रालय से वर्ष के दौरान प्राप्त निधि	8,915,594	7,500,000
कुल (क)	**18,079,758**	**17,988,887**
घटा: वर्ष के दौरान उपयोग:		
अध्ययन एवं परामर्श प्रभार	2,973,931	1,980,888
क्षमता निर्माण	1,503,447	1,485
बैंक प्रभार	244	847
अर्जित ब्याज के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस किया गया	652,237	1,355,068
अव्ययित वित्तीय सहायता के कारण विद्युत मंत्रालय को वापस किया गया	10,371,846	5,901,535
कुल (ख)	**15,501,705**	**9,239,823**
कुल (क–ख)	**2,578,053**	**8,749,064**
घटा: अन्य देयताओं को अंतरित टीडीएस	**251,253**	–
अगले वर्ष में ले जाया गया शेष *	**2,326,800**	**8,749,064**

* वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए क्षमता निर्माण व परामर्श के लिए विद्युत मंत्रालय से "एफओआर" द्वारा प्राप्त की गई रु. 89,15,594/– की वित्तीय सहायता में से, रु. 25,78,053/– की राशि वित्तीय वर्ष 2016–17 में आगे ले जाई गई

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

बैंक समाधान विवरण

01–04–2015 से 31–03–2016 तक

कॉर्पोरेशन बैंक – बचत खाता सं. 209914801140004

	राशि (₹)	
	नामे	**जमा**
बैंक पासबुक के अनुसार शेष		**(29,52,828.44)**

जमाः जारी किए गए, परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए चौकः

तिथि	विवरण	चेक संख्या	राशि (₹)		वसूली की तिथि
30.03.2016	टाटा टेलिसर्विसेज लि. – खाता सं. 920060410	314504	1,718.00		07.04.2016
31.03.2016	डी कलर प्रोड्यूसर्ज प्रा. लि.	314505	1,786.00		04.04.2016
31.03.2016	एमपीएस फोटोस्टेट	314506	1,000.00		03.05.2016
31.03.2016	ए.वी. इवेन्ट सौल्यूशन्स	314507	2,519.00		06.04.2016
31.03.2016	केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग	314508	1,600,000.00		04.04.2016
31.03.2016	साउथ एशिया फोरम फॉर इंफ्रास्ट्रक्चर रेग्यूलेशन	314509	171,556.00		04.04.2016
31.03.2016	संजय प्रसाद सेमवाल	314510	6,647.00		12.04.2016
31.03.2016	अरिहंत ऑफसेट	314511	1,100,477.00		11.04.2016
31.03.2016	होटल ब्रॉडवे	314512	16,952.00		18.04.2016
31.03.2016	संविदा पर प्रतिदेय टीडीएस	314513	24,892.00		11.04.2016
31.03.2016	संविदा पर प्रतिदेय टीडीएस	314514	485.00		11.04.2016
31.03.2016	व्यावसायिक फीस पर प्रतिदेय टीडीएस	314515	40,550.00	**2,968,582.00**	11.04.2016
बैंक विवरण के अनुसार शेष				**15,753.56**	

बैंक समाधान विवरण

01–04–2015 से 31–03–2016 तक

बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 600010110002258 (विद्युत मंत्रालय से सहायता)

राशि (₹)

	नामे	जमा
बैंक पासबुक के अनुसार शेष		**(1,319,751.47)**

जमाः जारी किए गए, परंतु बैंक में प्रस्तुत नहीं किए गए चौकः

तिथि	विवरण	चेक संख्या	राशि (₹)		वसूली की तिथि
31.03.2016	नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	779444	503,388.00		15.04.2016
31.03.2016	प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्रा. लि.	779445	125,243.00		06.05.2016
31.03.2016	प्राइसवाटरहाउसकूपर्स प्रा. लि.	779445	265,398.00		06.05.2016
31.03.2016	नेशनल पावर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट	779446	417,738.00		15.04.2016
31.03.2016	व्यावसायिक फीस पर टीडीएस	779447	37,382.00	1,349,149.00	08.04.2016
बैंक विवरण के अनुसार शेष				**29,397.53**	

बैंक समाधान विवरण

01–04–2015 से 31–03–2016 तक

बैंक ऑफ इंडिया खाता सं. 600010110002806 (एमएनआरई)

	राशि (₹)	
	नामे	जमा
बैंक पासबुक के अनुसार शेष	25,751.71	-
बैंक विवरण के अनुसार शेष	25,751.71	-

अनुसूची 9

विनियामक फोरम
(31 मार्च, 2016 को तुलन पत्र का भाग)

विनियामक फोरम की पृष्ठभूमि

विनियामक फोरम विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 166(2) के अधीन उपबंध के अनुसरण में 16 फरवरी, 2005 को अधिसूचना के माध्यम से गठित किया गया। फोरम ने केविविआ के अध्यक्ष और राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के अध्यक्ष शामिल हैं। केविविआ के अध्यक्ष फोरम के अध्यक्ष हैं।

फोरम निम्नलिखित कार्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात् :

- केन्द्रीय आयोग और राज्य आयोग के टैरिफ आदेशों और अन्य आदेशों का विश्लेषण और कंपनियों के कुशल सुधारों को विशेष रूप से रेखांकित करते हुए उक्त आदेशों उद्भूत आंकड़ों का संकलन;
- विद्युत क्षेत्र में विनियम को सुसंगत करना;
- अधिनियम के अधीन यथापेक्षित अनुज्ञप्तिधारियों के कार्यनिष्पादन के मानक निर्धारित करना।
- सामान्य हित और सामान्य दृष्टिकोण के विभिन्न विषयों पर फोरम के सदस्यों में सूचना शेयर करना।
- विद्युत क्षेत्र विनियम से संबंधित विषयों पर आउटसोर्स के माध्यम से या इनहाउस अनुसंधान कार्य करना।
- उपभोक्ताओं के हित के संरक्षण के लिए और विद्युत क्षेत्र में कुशलता किफायत प्रतिस्पर्धा को विकसित करना, और
- इस प्रकार के अन्य कार्य जैसा कि केन्द्रीय सरकार समय–समय से निर्दिष्ट करती है।

एमएनआरई की पृष्ठभूमि

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (एमएनआरई), भारत सरकार ने नवीकरणीय ऊर्जा प्रमाणपत्र (आरईसी) फ्रेमवर्क के कार्यान्वयन के लिए विनियामक फोरम (एफओआर) को 24.08.2010 को रु. 3.00 करोड़ (रुपए तीन करोड़ मात्र) की राशि रिलीज़ की, 31.03.2016 तक रु. 2.234 करोड़ रुपये (पूर्व वर्ष में रु. 2.234 करोड़) तक रकम कार्यान्वयन एजेंसियों को रिलीज़ की गई जिसमें रु. 1.534 करोड़ (पूर्व वर्ष में 0.97 करोड़ रुपये) के प्रयोक्ता प्रमाण पत्र प्राप्त किए गए (प्रयोक्ता प्रमाणपत्रों के समाधान एवं अंतिम रूप दिए जाने के अधीन)। प्रयोक्ता प्रमाण पत्र की शेष रकम के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों के साथ मामला आगे बढ़ाया जा रहा है। एमएनआरई के बचत बैंक खाते में उपलब्ध समग्र निधियों (अर्जित ब्याज के साथ मूल राशि) को दिनांक 22.04.2016 को एमएनआरई को विधिवत रूप से वापस कर दिया गया है। वित्तीय वर्षों 2012–13 से 2015–16 के दौरान अर्जित ब्याज की राशि पर बैंक द्वारा स्रोत पर काटे गए कर के रूप में रु. 2,86,809/– की राशि विनियामक फोरम द्वारा प्रतिधारित की गई है, और आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन लागू छूट के परिणाम के आधार पर इसे समायोजित/वापस किया जाना है।

योजना

वित्तीय वर्षों 2013–14 से 2015–16 के दौरान अर्जित ब्याज की राशि पर बैंक द्वारा स्रोत पर काटे गए कर के रूप में रु. 2,51,253/– की राशि विनियामक फोरम द्वारा प्रतिधारित की गई है, और आय कर अधिनियम, 1961 की धारा 10(46) के अधीन लागू छूट के परिणाम के आधार पर इसे समायोजित/वापस किया जाना है।

महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियां और लेखों के नोट

1. लेखांकन की पद्धति

लेखा ऐतिहासिक लागत पारंपरिक उपचित आधार के अधीन तैयार किए जा रहे हैं और कंपनी अधिनियम धारा, 2013 की धारा 133 के अधीन भारत सरकार द्वारा अधिसूचित अनिवार्य लेखांकन मानक के अनुरूप अनुपालन किया जा रहा है।

2. आय की मान्यता

प्रत्येक सदस्य से सदस्यता शुल्क वार्षिक आधार पर प्राप्त किया जाता है। इस प्रकार की फीस और अन्य आय उपचित आधार पर लेखा बहियों में की जाती है।

3. नियता आस्तियां और मूल्यह्रास

नियत आस्तियों पर मूल्यह्रास आयकर अधिनियम 61 में निर्धारित दरों के अनुसार बट्टा खाते मूल्य पद्धति पर किया गया है। आस्तियों का बट्टा खाते डाली गई पद्धति वित्तीय वर्ष 2012–13 तक नियत आस्ति अनुसूची में दर्शाई गई।

नियत आस्ति अनुसूची प्रस्तुति चालू वित्तीय वर्ष से परिवर्तित हो गई है जहां चालू वर्ष तक दी गई नियत आस्तियां और कुल मूल्यह्रास की सकल ब्लॉक का उल्लेख किया गया।

4. कराधान

प्रत्यक्ष करः–

विनियामक फोरम ने 13.12.2011 का आयकर अधिनियम 61 की धारा 10(46) के अधीन छूट के लिए आवेदन किया है और छूट प्रदान की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से वित्तीय वर्ष 2013–14 तक वित्तीय विवरणियों में कोई प्रावधान नहीं किया गया। कोई आयकर विवरणी छूट प्रदान करने की आशा में वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2010–11 के लिए दाखिल नहीं की गई है। सूचना/दस्तावेज 6.9.2012 और 19.2.2013 को अवर सचिव (आईटीए–1) सीबीडीटी नई दिल्ली और एडीआईटी (ई) नई दिल्ली द्वारा मंगवाए गए सूचना/दस्तावेज जिसे क्रमशः 5.10.2012 और 15.3.2013 को प्रस्तुत किए गए। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान रु. 1884216/– की राशि वित्तीय वर्ष 2005–06 से 2010–11 के लिए टीडीएस आय एवं व्यय खाते में वसूली की संदिग्धता के रूप में उपलब्ध किया गया।

एफओआर वित्तीय वर्ष 2011–12 से छूट प्रदान करने की आशा से शून्य आय संगणना करते हुए आयकर विवरणी दाखिल करता रहा है।

छूट के संबंध में मामला कर परामर्शदाता द्वारा सीबीडीटी के साथ किया गया। एफओआर सीबीडीटी के साथ मामले की अनुवर्ती कार्रवाई के लिए विशेषज्ञ कर परामर्शदाता की सेवाओं पर किराए की प्रक्रिया में है।

आकस्मिक देयता की रकम जो आयकर छूट प्राप्त न करने की स्थिति में उत्पन्न हो सकती है जिसे सुनिश्चित नहीं किया गया और प्रदान नहीं किया गया।

अप्रत्यक्ष करः–

एफओआर सेवा कर और रिवर्स प्रभार तंत्र की प्रयोज्यता के बारे में विधिगत राय प्राप्त करने की प्रक्रिया में है।

5. तुलन पत्र तारीख के बाद हुए कार्य

कोई महत्वपूर्ण कार्य जो 31.3.2016 को उस सीमा तक वित्तीय स्थिति को प्रभावित कर सके लेखों के अनुमोदन तक तुलन पत्र तारीख के बाद फोरम द्वारा रिपोर्ट नहीं किया गया।

6. सेवानिवृत्ति लाभ

सभी कर्मचारी कांट्रेक्ट आधार पर हैं। उनके कांट्रेक्ट की शर्तों के आधार पर कोई सेवानिवृत्ति लाभ उन्हें प्रतिदेय नहीं है और इस प्रकार नहीं दिया गया।

7. ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में जमा और एफडीआर में निवेश

ऑटो स्वीप/फ्लेक्सी डिपॉसिट में अल्पकालिक जमा और एफडीआर को लागत पर वर्णित किया गया है और नकदी एवं बैंक शेष में दर्शाया गया है।

8. आंकड़ों को पुनः वर्गीकृत किया गया और जहां आवश्यक हो उनकी पुनः व्यवस्था की गई।

इससे संबद्ध तारीख को हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते एमबीआर एंड कंपनी
सनदी लेखाकार

हस्ता./–
मुकेश शर्मा
(साझेदार)
एम.सं. 511275
एफआरएनः 021360एन

हस्ता./–
सचिव

स्थान : नई दिल्ली
दिनांकः 22–07–2016

अनुबन्ध–I

केविविआ के टैरिफ अनुसूचियां उत्पाद टैरिफ

क. थर्मल पावर स्टेशनों के लिए नियत प्रभार और ऊर्जा प्रभार

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	संस्थापित क्षमता (एमडब्लयू)	प्रकार	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	एएफसी (रुपये / किलोवाट घण्टा)	ईएसआर (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रुपये / किलोवाट घण्टा)
1.	तलचर–I	1000	गैर–पिट	01–जुलाई–97	84.86	114.94	199.80
2.	सिंगरौली एसटीपीएस	2000	पिट–हेड	01–मई–.88	53.83	94.31	148.14
3.	टांडा–I	440	गैर–पिट	20–फरवरी–98	112.16	270.61	382.78
4.	रिहंद–II	1000	पिट–हेड	01–अप्रैल–06	96.90	133.84	230.74
5.	सिम्हाद्री–II	1000	गैर–पिट	30–सितंबर–12	166.31	166.12	332.43
6.	सिम्हाद्री–I	1000	गैर–पिट	01–मार्च–03	102.54	163.68	266.22
7.	एफजीयूटीपीपी–II	420	गैर–पिट	01–जनवरी–01	90.98	177.82	268.79
8.	एफजीयूटीपीपी–I	420	गैर–पिट	22–मार्च–89	87.65	172.08	259.72
9.	उडुपी पावर प्लांट	1200	गैर–पिट	19–अगस्त–12	165.02	286.74	451.76
10.	कोरबा–III	500	पिट–हेड	21–मार्च–11	157.89	81.87	239.76
11.	विंध्याचल–IV	1000	पिट–हेड	27–मार्च–14	157.67	153.45	311.12
12.	मौदा–1	1000	गैर–पिट	30–मार्च–14	195.16	436.72	631.87
13.	फरक्का–I–II	1600	पिट–हेड	01–जुलाई–96	81.97	217.95	299.92
14.	कोरबा–I–II	2100	पिट–हेड	01–जून–90	53.51	54.39	107.91
15.	रिहंद–I	1000	पिट–हेड	01–जून–91	82.29	125.97	208.25
16.	फरक्का–III	500	पिट–हेड	04–अप्रैल–12	168.52	280.62	449.14
17.	रामागुंडम–III	500	गैर–पिट	23–मार्च–05	95.96	108.81	204.77
18.	सिपत–II	1000	पिट–हेड	01–जनवरी–09	129.58	65.29	194.87
19.	रामागुंडम–I–II	2100	गैर–पिट	01–अप्रैल–91	60.79	149.27	210.05
20.	कहलगांव–I	840	पिट–हेड	01–अगस्त–96	97.13	192.13	289.26
21.	विंध्याचल–III	1000	पिट–हेड	15–जुलाई–07	112.37	125.24	237.61
22.	तलचर टीपीएस	460	पिट–हेड	24–मार्च–83	126.33	108.47	234.80
23.	विंध्याचल–I	1260	पिट–हेड	01–फरवरी–92	64.94	132.68	197.62
24.	सिपत–I	1980	पिट–हेड	01–अगस्त–12	140.88	136.21	277.09
25.	तलचर–II	2000	पिट–हेड	01–अगस्त–05	80.86	114.94	195.80
26.	कहलगांव–II	1500	पिट–हेड	20–मार्च–10	119.80	174.24	294.04
27.	बदरपुर टीपीएस	705	गैर–पिट	01–अप्रैल–82	81.64	209.36	291.00
28.	एनसीटीपीएस दादरी–I	840	गैर–पिट	01–दिसंबर–95	90.19	241.13	331.33
29.	विंध्याचल–II	1000	पिट–हेड	01–अक्टूबर–00	64.94	125.24	190.18
30.	एफजीयूटीपीपी–III	210	गैर–पिट	01–जुलाई–07	141.35	177.16	318.51
31.	एनसीटीपीएस दादरी–II	980	गैर–पिट	31–जुलाई–10	162.07	233.04	395.11
32.	एनटीपीसी सैल भिलाई Exp	500	गैर–पिट	21–अक्टूबर–09	181.92	133.43	315.36

ख. गैस आधारित थर्मल उत्पादन केन्द्रों से संबंधित 31.03.2016 तक जारी आदेशों पर आधारित वर्ष 2103–14 के लिए टैरिफ विवरण

क्र. सं.	उत्पादन केन्द्र	संस्थापित क्षमता (एमडब्लयू)	प्रकार	वाणिज्यिक प्रचालन की तारीख	एएफसी (रुपये / किलोवाट घण्टा)	ईएसआर (रुपये / किलोवाट घण्टा)	कुल टैरिफ (रुपये / किलोवाट घण्टा)
1.	यूएनओएसयूजीईएन पावर प्लांट	382.5	04-अप्रैल-13	46,104.25	166.88	398.90	565.78
2.	एसयूजीईएन पावर प्लांट	1147.5	15-अगस्त-09	93,549.43	112.87	223.11	335.98
3.	फरीदाबाद जीपीएस	431.586	01-जनवरी-01	24,769.64	79.46	161.97	241.43
4.	अंता जीपीएस	419.33	01-अगस्त-90	21,171.69	69.90	177.95	247.86
5.	दादरी जीपीएस	829.78	01-अप्रैल-97	32,624.39	54.44	269.50	323.93
6.	झनोर गंधार	657.39	01-नवंबर-95	47,540.54	100.13	261.33	361.45
7.	ओरैया जीपीएस	663.36	01-दिसंबर-90	25,317.85	52.84	206.71	259.55
8.	कवास	656.2	01-नवंबर-93	37,276.75	78.65	390.41	469.06
9.	आरजीसीसीपीपी कयमकुलम	359.58	01-मार्च-00	22,112.94	85.14	434.71	519.85
10.	एनटीपीसी–ओएनजीसी, आरजीपीपीएल	1967.08	19-मई-09	1,91,329.38	143.08	287.87	430.95

ग. हाइड्रो स्टेशन का समग्र टैरिफ एनएचपीसी

	प्लांट	मूल्य (रुपये/यूनिट)
एनएचपीसी		
1	बारासुल	1.86
2	लोकतक	3.46
3	सलाल	1.05**
4	टनकपुर	2.80
5	चमेरा-I	2.08
6	यूरी-I	1.56
7	रंगित	3.41
8	चमेरा-II	2.58
9	धौलीगंगा	2.96
10	दुलहस्ती	5.71**
11	तीस्ता-V	2.32
12	सेवा-II	5.53**
13	चमेरा-III	4.27
14	चटक	8.44**
15	टीएलडीपी-III	6.90
16	नीमू बाज़गो	9.54**
17	यूरी-II	4.87**
18	पारबती-III	5.48
एनएचडीसी		
1	इन्दिरा सागर	3.48
2	ओमकेश्वर	5.32
टीएचडीसी		
1	टिहरी स्टेज-I	5.68
2	कोटेश्वर	3.78
एसजेवीएनएल		
1	नाफ्था झाकरी	2.88
2	रामपुर	3.22
नीपको		
1	खंदोंग	1.54
2	कोपीली स्टेज-I	1.01
3	दोयांग	5.25
4	रंगानदी	2.11
5	कोपीली स्टेज-II	1.83
डीवीसी		
1	मैथोन	3.26
2	पंचेत	1.58
3	तिलैया	4.96

1. एएफसी/टैरिफ बेरासूल, लोकतक, सलाल, टनकपुर, चमेरा–1, रंगित, धौलीगंगा, चमेरा–2, खडोंग, कोपली–1, रंगानदी, कोपली स्टेज–2, दोयांग, इन्दिरा सागर, ओंकारेश्वर के मामले में केविविआ द्वारा अधिसूचित नवीनतम टैरिफ आदेशों पर आधारित है।
2. परवती–3 पावर स्टेश्न का टैरिफ तीन यूनिटों के लिए 28.3.2016 के केविविआ के आदेश पर आधारित है। अन्य पावर स्टेशन का एएफसी/टैरिफ केविविआ में दाखिल टैरिफ याचिकाओं पर आधारित है।
3. **टैरिफ प्रयुक्त जल की जे&के @ 25/12 पैसे क्यूमेसेक सरकार द्वारा लगाए जल उपयोग प्रभारों के अतिरिक्त है।

घ. नवीकरणीय ऊर्जा टैरिफ

चंतजपबनसंत	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2015–16)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि उपयोग किया गया है)
	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)	(रुपये / किलोवाट घण्टा)
वायु ऊर्जा			
पवन का क्षेत्र–1 (सीयूएफ 20)	6.58	0.71	5.87
पवन का क्षेत्र–2 (सीयूएफ 22%)	5.98	0.64	5.34
पवन का क्षेत्र–3 (सीयूएफ 25%)	5.27	0.57	4.70
पवन का क्षेत्र–4 (सीयूएफ 30%)	4.39	0.47	3.92
पवन का क्षेत्र–5 (सीयूएफ 32%)	4.11	0.44	3.67
लघु हाइड्रो पावर परियोजना			
एचपी, उत्तराखण्ड, और एनई राज्य (5 मेगावाट से कम)	4.64	-	-
एचपी, उत्तराखण्ड, और एनई राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	3.95	-	-
अन्य राज्य (5 मेगावाट से कम	5.47	-	-
अन्य राज्य (5 मेगावाट से 25 मेगावाट)	4.65	-	-

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2015–16)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2015–16)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)	(रु. / किलोवाट घण्टा)
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जूली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	3.06	4.48	7.53	0.18	7.36
हरियाणा	3.12	5.09	8.21	0.18	8.03
महाराष्ट्र	3.13	5.21	8.34	0.18	8.16
पंजाब	3.14	5.33	8.47	0.18	8.29
राजस्थान	3.06	4.45	7.50	0.18	7.32
तमिलनाडु	3.05	4.40	7.45	0.18	7.27
उत्तर प्रदेश	3.07	4.55	7.62	0.18	7.44
अन्य	3.09	4.79	7.88	0.18	7.70

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2015–16)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2015–16)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
वायु कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जूली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	3.24	4.58	7.82	0.20	7.62
हरियाणा	3.30	5.21	8.51	0.20	8.32
महाराष्ट्र	3.31	5.33	8.64	0.20	8.45
पंजाब	3.33	5.45	8.78	0.20	8.58
राजस्थान	3.24	4.55	7.79	0.20	7.59
तमिलनाडु	3.23	4.50	7.74	0.20	7.54
उत्तर प्रदेश	3.25	4.66	7.91	0.20	7.71
अन्य	3.27	4.90	8.17	0.20	7.97
वाटर कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जूली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	3.20	4.48	7.67	0.20	7.48
हरियाणा	3.26	5.09	8.35	0.20	8.16
महाराष्ट्र	3.27	5.21	8.48	0.20	8.28
पंजाब	3.28	5.33	8.61	0.20	8.41
राजस्थान	3.19	4.45	7.64	0.20	7.44
तमिलनाडु	3.19	4.40	7.59	0.20	7.39
उत्तर प्रदेश	3.20	4.55	7.76	0.20	7.56
अन्य	3.23	4.79	8.01	0.20	7.81
वायु कूल कन्डेन्सर और ट्रेवलिंग ग्रेड बॉयलर सहित बायोमास विद्युत परियोजनाएं (राईज स्ट्रॉ एवं जूली फलोरा (प्लांटेशन) आधारित परियोजना के अतिरिक्त)					
आन्ध्रा प्रदेश	3.38	4.58	7.96	0.21	7.75
हरियाणा	3.44	5.21	8.66	0.21	8.44
महाराष्ट्र	3.46	5.33	8.79	0.21	8.58
पंजाब	3.47	5.45	8.92	0.21	8.71
राजस्थान	3.38	4.55	7.93	0.21	7.72
तमिलनाडु	3.38	4.50	7.88	0.21	7.67
उत्तर प्रदेश	3.39	4.66	8.05	0.21	7.84
अन्य	3.41	4.90	8.31	0.21	8.10
बगासे आधारित सह–उत्पादन परियोजना					
आन्ध्रा प्रदेश	3.15	290	6.05	0.25	5.80
हरियाणा	2.84	4.13	6.97	0.21	6.76
महाराष्ट्र	2.55	4.07	6.62	0.18	6.43
पंजाब	2.79	3.63	6.42	0.21	6.21
तमिलनाडु	2.46	3.13	5.59	0.18	5.41
उत्तर प्रदेश	3.18	3.24	6.42	0.25	6.17
अन्य	2.78	3.52	6.29	0.21	6.08

सौर पीवी और सौर थर्मल			
विवरण	स्तरीकृत कुल टैरिफ (वित्तीय वर्ष 2015–16)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
सौर पीवी	7.04	0.69	6.35
सौर थर्मल	12.05	1.25	10.80

राज्य	स्तरीकृत नियत लागत	परवर्ती लागत (वित्तीय वर्ष 2015–16)	लागू टैरिफ दर (वित्तीय वर्ष 2015–16)	वृद्धिशील मूल्यह्रास के लाभ (यदि प्राप्त किया गया है)	निवल स्तरीकृत टैरिफ (वृद्धिशील मूल्यह्रास लाभ के लिए समायोजन करते हुए) (यदि प्राप्त किया गया है)
	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)	(रु./किलोवाट घण्टा)
बायोमास गैसीफायर पावर परियोजना					
आन्ध्रा प्रदेश	2.58	4.08	6.66	0.13	6.53
हरियाणा	2.64	4.65	7.28	0.13	7.15
महाराष्ट्र	2.65	4.75	7.40	0.13	7.27
पंजाब	2.66	4.86	7.52	0.13	7.39
राजस्थान	2.58	4.06	6.63	0.13	6.50
तमिलनाडु	2.57	4.02	6.59	0.13	6.46
उत्तर प्रदेश	2.59	4.15	6.74	0.13	6.61
अन्य	2.61	4.37	6.98	0.13	6.85
बायो–गैस आधारित उत्पादन					
बायोगैस	3.57	4.29	7.86	0.26	7.60

राज्य विद्युत विनियामक आयोगों के आदेश जारी करने की समयबद्धता

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2015–16 के लिए टैरिफ आदेश लागू			टिप्पणियां
			विनियम के अनुसार टैरिफ आदेश जारी करने की तारीख	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तारीख	आदेश की प्रयोज्यता	
1	अंडमान और निकोबार	विद्युत विभाग, अंडमान और निकोबार प्रशासन (ईडी एएंडएन)	31/मार्च/2015	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
2	आंध्र प्रदेश	दक्षिणी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एसपीडीसीएल)	31/मार्च/2015	23/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
3	आंध्र प्रदेश	पूर्वी विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (ईपीडीसीएल)	31/मार्च/2015	23/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
4	अरुणाचल प्रदेश	विद्युत विभाग, अरुणाचल प्रदेश (डीओपी, एपी)	31/मार्च/2015	21/अप्रैल/2015	01/अप्रैल/2015	
5	असम	असम विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एपीडीसीएल)	31/मार्च/2015	24/जुलाई/2015	01/अगस्त/2015	
6	बिहार	उत्तरी बिहार बिजली वितरण कंपनी लिमिटेड (एनबीपीडीसी)	31/मार्च/2015	16/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
7	बिहार	दक्षिणी बिहार पावर वितरण कंपनी लिमिटेड (एसबीपीडीसीएल)	31/मार्च/2015	16/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
8	चंडीगढ़	चंडीगढ़ विद्युत विभाग (सीईडी)	31/मार्च/2015	10/अप्रैल/2015	01/अप्रैल/2015	
9	छत्तीसगढ़	छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि (सीएसपीडीसीएल)	31/मार्च/2015	23/मई/2015	01/जून/2015	
10	दिल्ली	बीएसईएस राजधानी पावर लिमिटेड	31/मार्च/2015	29/सितम्बर/2015	01/अक्टूबर/2015	
11	दिल्ली	बीएसईएस यमुना पावर लिमिटेड	31/मार्च/2015	29/सितम्बर/2015	01/अक्टूबर/2015	
12	दिल्ली	टाटा पावर दिल्ली वितरण लिमिटेड (टीपीडीडीएल)	31/मार्च/2015	29/सितम्बर/2015	01/अक्टूबर/2015	
13	दिल्ली	नई दिल्ली नगरपालिका परिषद (एनडीएमसी)	31/मार्च/2015	29/सितम्बर/2015	01/अक्टूबर/2015	
14	दादरा और नगर हवेली	दादरा और नगर हवेली विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (डी एनएचपीडीसीएल)	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	01/अप्रैल/2015	
15	दमन और दीव	दमन और दीव का विद्युत विभाग (ईडी डीडी)	31/मार्च/2015	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
16	गोवा	विद्युत विभाग, गोवा (ईडीजी)	31/मार्च/2015	06/अप्रैल/2015	01/अप्रैल/2015	
17	गुजरात	दक्षिण गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (डीजीवीसीएल)	31/मार्च/2015	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
18	गुजरात	मध्य गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (एमजीवीसीएल)	31/मार्च/2015	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
19	गुजरात	उत्तर गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (यूजीवीसीएल)	31/मार्च/2015	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
20	गुजरात	पश्चिम गुजरात विज कंपनी लिमिटेड (पीजीवीसीएल)	31/मार्च/2015	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
21	गुजरात	टोरेंट पावर लिमिटेड– वितरण सूरत	31/मार्च/2015	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2015–16 के लिए टैरिफ आदेश लागू			टिप्पणियां
			विनियम के अनुसार टैरिफ आदेश जारी करने की तारीख	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तारीख	आदेश की प्रयोज्यता	
22	गुजरात	टोरेंट पावर लिमिटेड– वितरण अहमदाबाद	31/मार्च/2015	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
23	हरियाणा	उत्तरी हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड (यूएचबीवीएनएल)	31/मार्च/2015	07/मई/2015	01/अप्रैल/2015	
24	हरियाणा	दक्षिण हरियाणा विद्युत निगम लिमिटेड (डीएचबीवीएनएल)	31/मार्च/2015	07/मई/2015	01/अप्रैल/2015	
25	हिमाचल प्रदेश	हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड लिमिटेड (एचपीएसईबीएल)	31/मार्च/2015	10/अप्रैल/2015	01/अप्रैल/2015	
26	झारखंड	झारखंड विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल)	31/मार्च/2015	14/दिसम्बर/2015	01/जनवरी/2016	
27	झारखंड	दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)	31/मार्च/2015	01/सितम्बर/2014	01/सितम्बर/2014	एमवाईटी वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिए एआरआर
28	झारखंड	जमशेदपुर यूटिलिटी सर्विसेज कंपनी लिमिटेड (जेयूएससीओ)	31/मार्च/2015	01/सितम्बर/2014	01/सितम्बर/2014	एमवाईटी वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिए एआरआर
29	झारखंड	टाटा स्टील लिमिटेड (टीएसएल)	31/मार्च/2015	31/मई/2015	01/जून/2015	
30	झारखंड	स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड (एसएआईएल)	31/मार्च/2015	01/सितम्बर/2014	01/सितम्बर/2014	एमवाईटी वित्तीय वर्ष 2013–14 से 2015–16 के लिए एआरआर
31	कर्नाटक	बैंगलोर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (बीईएससीओएम)	31/मार्च/2015	02/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
32	कर्नाटक	चामुंडेश्वरी विद्युत आपूर्ति निगम लिमिटेड (सीईएससी)	31/मार्च/2015	02/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
33	कर्नाटक	गुलबर्गा इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (जीईएससीओएम)	31/मार्च/2015	02/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
34	कर्नाटक	हुबली इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लिमिटेड (एचईएससीओएम)	31/मार्च/2015	02/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
35	कर्नाटक	मैंगलोर विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड (एमईएससीओएम)	31/मार्च/2015	02/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2015–16 के लिए टैरिफ आदेश लागू			टिप्पणियां
			विनियम के अनुसार टैरिफ आदेश जारी करने की तारीख	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तारीख	आदेश की प्रयोज्यता	
36	केरल	केरल स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड लिमिटेड (केएसईबीएल)	31/मार्च/2015	25–09–2014*	01/अप्रैल/2015	* वर्ष 2015–16 के दौरान आयोग ने केएसईबी लि. के एआरआर और ईआरसी को अनुमोदित नहीं किया चूंकि अनुज्ञप्तिधारी ने बहुवर्ष फ्रेमवर्क में केएसईआरसी (टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 के अनुसार याचिका दाखिल नहीं की। अनुज्ञप्तिधारी ने उच्च न्यायालय में केएसइआरसी टैरिफ के अवधारण के लिए निबंधन व शर्तें) विनियम 2014 को चुनौती दी। वित्तीय 2016–17 के लिए अनुज्ञप्तिधारी ने कोई याचिका दाखिल नहीं की। आयोग ने स्वप्रेरणा कार्यवाहियों की पहल को आरंभ किया और टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए टैरिफ के अवधारण के लिए 17.4.2017 को जारी किया। अंतिम/नवीनतम वर्ष के लिए जारी किया गया टैरिफ आदेश अगले टैरिफ आदेश के जारी होन तक लागू होगा। इसके अलावा केएसईआरसी ने परवर्ती आदेशों द्वारा टैरिफ की प्रयोज्यता को बढ़ाने के लिए स्वप्रेरणा आदेश आरंभ किया।
37	लक्षद्वीप	विद्युत विभाग, लक्षद्वीप के यू.टी. (एलईडी)	31/मार्च/2015	17/अप्रैल/2015	01/अप्रैल/2015	
38	मध्य प्रदेश	केन्द्रीय डिस्कॉम	31/मार्च/2015	17/अप्रैल/2015	25/अप्रैल/2015	
39	मध्य प्रदेश	पूर्व डिस्कॉम	31/मार्च/2015	17/अप्रैल/2015	25/अप्रैल/2015	
40	मध्य प्रदेश	पश्चिम डिस्कॉम	31/मार्च/2015	17/अप्रैल/2015	25/अप्रैल/2015	
41	महाराष्ट्र	टाटा पावर वितरण (टीपीसी एण्ड डी)	31/मार्च/2015	28/जून/2013	01/अप्रैल/2015	आयोग ने वित्त वर्ष 2013 –14 से वित्त वर्ष 2015–16 तक की नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ को मंजूरी दी है।
42	महाराष्ट्र	आर इंफ्रा डी / अदानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड (एईएमएल)	31/मार्च/2015	22/अगस्त/2013	01/अप्रैल/2015	
43	महाराष्ट्र	महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसईडीसीएल)	31/मार्च/2015	26/जून/2015	01/जून/2015	
44	महाराष्ट्र	बृहन्मुंबई इलेक्ट्रिक सप्लाई एंड ट्रांसपोर्ट (बीईएसटी)	31/मार्च/2015	28/अगस्त/2013	01/अप्रैल/2015	
45	मणिपुर	मणिपुर राज्य पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल)	31/मार्च/2015	27/फरवरी/2015	01/अप्रैल/2015	
46	मेघालय	मेघालय विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एमईपीडीसीएल)	31/मार्च/2015	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
47	मिजोरम	ऊर्जा और विद्युत विभाग, मिजोरम	31/मार्च/2015	27/फरवरी/2015	01/अप्रैल/2015	
48	नगालैंड	विद्युत विभाग, नागालैंड (डीपीएन)	31/मार्च/2015	27/फरवरी/2015	01/अप्रैल/2015	
49	ओडिशा	केंद्रीय विद्युत आपूर्ति यूटिलिटि (सीईएसयू)	31/मार्च/2015	23/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2015–16 के लिए टैरिफ आदेश लागू			टिप्पणियां
			विनियम के अनुसार टैरिफ आदेश जारी करने की तारीख	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तारीख	आदेश की प्रयोज्यता	
50	ओडिशा	उत्तरी पूर्वी विद्युत आपूर्ति कंपनी ओडिशा लिमिटेड (एनईएससीओ)	31/मार्च/2015	23/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
51	ओडिशा	साउथको	31/मार्च/2015	23/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
52	ओडिशा	पश्चिमी विद्युत आपूर्ति कंपनी लिमिटेड ओडिशा (डब्ल्यूईएससीओ)	31/मार्च/2015	23/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
53	पुडुचेरी	पुदुचेरी विद्युत विभाग (पीईडी)	31/मार्च/2015	10/अप्रैल/2015	01/अप्रैल/2015	
54	पंजाब	पंजाब राज्य पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (पीएसपीसीएल)	31/मार्च/2015	05/मई/2015	01/अप्रैल/2015	
55	राजस्थान	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (एवीवीएनएल)	31/मार्च/2015	22/सितम्बर/2015	22/सितम्बर/2015	
56	राजस्थान	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेडीवीवीएनएल)	31/मार्च/2015	22/सितम्बर/2015	22/सितम्बर/2015	
57	राजस्थान	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (जेवीवीएनएल)	31/मार्च/2015	22/सितम्बर/2015	22/सितम्बर/2015	
58	सिक्किम	ऊर्जा और विद्युत विभाग, सिक्किम (ईपीडीएस)	31/मार्च/2015	31/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
59	तमिलनाडु	तमिलनाडु उत्पादन और वितरण कॉर्पोरेशन लिमिटेड (टीएएनजीईडीसीओ)	31/मार्च/2015	20/जून/2013	21/जून/2013	
60	तेलंगाना	उत्तरी ऊर्जा वितरण कंपनी लिमिटेड तेलंगाना (टीएसएनपीडीसीएल)	31/मार्च/2015	27/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
61	तेलंगाना	दक्षिणी ऊर्जा वितरण कंपनी लिमिटेड तेलंगाना (टीएसएसपीडीसीएल)	31/मार्च/2015	27/मार्च/2015	01/अप्रैल/2015	
62	त्रिपुरा	त्रिपुरा राज्य विद्युत निगम लि (टीएसईसीएल)	31/मार्च/2015	22 नवंबर, 2014 *	01/अप्रैल/2015	*वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए 22 नवंबर, 2014 में त्रिपुरा राज्य में अंतिम टैरिफ आदेश जारी किया गया। आयोग ने अनुज्ञप्तिधारियों को टैरिफ याचिका दाखिल करने का संज्ञान दिया लेकिन अनुज्ञप्तिधारी ने याचिका दाखिल नहीं की। वित्तीय वर्ष 2014–15 से अनुज्ञप्तिधारी द्वारा कोई टैरिफ याचिका दाखिल नहीं की गई और न ही आयोग द्वारा कोई भी टैरिफ आदेश जारी किया गया। अतः वित्तीय वर्ष 2014–15 के टैरिफ आदेश वित्तीय वर्ष 2015–16 के लिए लागू हैं।

क्र.सं.	राज्य	डिस्कॉम	2015–16 के लिए टैरिफ आदेश लागू			टिप्पणियां
			विनियम के अनुसार टैरिफ आदेश जारी करने की तारीख	टैरिफ आदेश जारी करने की वास्तविक तारीख	आदेश की प्रयोज्यता	
63	उत्तर प्रदेश	दक्षिणांचल विद्युत् वितरण निगम लि (डीवीवीएनएल)	31/मार्च/2015	18/जून/2015	25/जून/2015	
64	उत्तर प्रदेश	कानपुर इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कंपनी लि (केईएससीओ)	31/मार्च/2015	18/जून/2015	25/जून/2015	
65	उत्तर प्रदेश	मध्यांचल विद्युत् वितरण निगम लि (एमवीवीएनएल)	31/मार्च/2015	18/जून/2015	25/जून/2015	
66	उत्तर प्रदेश	पश्चिमांचल विद्युत् वितरण निगम लि (पीवीवीएनएल)	31/मार्च/2015	18/जून/2015	25/जून/2015	
67	उत्तर प्रदेश	पूर्वांचल विद्युत् वितरण निगम लि (पीयूवीवीएनएल)	31/मार्च/2015	18/जून/2015	25/जून/2015	
68	उत्तर प्रदेश	नोएडा पावर कंपनी लिमिटेड (एनपीसीएल)	31/मार्च/2015	18/जून/2015	25/जून/2015	
69	उत्तराखंड	उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लि (यूपीसीएल)	31/मार्च/2015	11/अप्रैल/2015	01/अप्रैल/2015	
70	पश्चिम बंगाल	पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल)	31/मार्च/2015	10/अगस्त/2015	01/अप्रैल/2015	
71	पश्चिम बंगाल	कलकत्ता विद्युत आपूर्ति कॉर्पोरेशन (सीईएससी)	31/मार्च/2015	10/अगस्त/2015	01/अप्रैल/2015	
72	पश्चिम बंगाल	दामोदर घाटी निगम (डीवीसी)	31/मार्च/2015	25/मई/2015	25/मई/2015	
73	पश्चिम बंगाल	दुर्गापुर पावर लिमिटेड (डीपीएल)	31/मार्च/2015	23/जून/2015	23/जून/2015	
74	पश्चिम बंगाल	इंडिया पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड (आईपीसीएल)	31/मार्च/2015	21/जून/2016	21/जून/2016	

अनुबंध-III

सीजीआरएफ और ओमबड्समैन की कार्यप्रणाली

I–रिक्त पदों का सारांश

सीजीआरफ में रिक्तियां

1. आंध्रप्रदेश राज्य में सदस्य (सह–चयनित) पद के लिए सीजीआरएफ में एक रिक्ति।
2. बिहार राज्य में सदस्य पद के लिए सीजीआरएफ में तीन रिक्ति।
3. छत्तीसगढ़ राज्य में सदस्य पद के लिए सीजीआरएफ में एक रिक्ति।
4. झारखण्ड राज्य में सदस्य पद के लिए सीजीआरएफ में छः रिक्ति।
5. तमिलनाडु राज्य में सदस्य पद के लिए सीजीआरएफ में तीन रिक्ति।
6. कोल्हापुर जोन, कोंकण जोन और कल्याण जोन, महाराष्ट्र में क्रमशः अध्यक्ष के पद के लिए तीन रिक्तियाँ।
7. सीजीआरफ के पदों को अरुणाचल प्रदेश और जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य में अभी सृजित किया जाना है।

ओमबड्समैन में रिक्तिया

1. त्रिपुरा विद्युत विनियामक आयोग में ओमबडसमैन पद के लिए एक रिक्ति।
2. जम्मू एण्ड कश्मीर राज्य में सीजीआरफ पद के लिए अभी सृजित किया जाना है।

II - सीजीआरएफ द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	नाम सीजीआरएफ	सितंबर, 2015 को समाप्त हुई पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)	तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2015) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)
1	असम	एपीडीसीएल, सीएआर, नागौन	शून्य	3	3	शून्य	शून्य	2
		एपीडीसीएल, डिब्रूगढ़	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य
		एपीडीसीएल, तेज़पुर	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य
		एपीडीसीएल, बोंगेगांव ज़ोन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल	शून्य	5	3	2	शून्य	2
2	आंध्र प्रदेश	एपीईपीडीसीएल, विशाखापतनम	247	158	125	280	192	28
		एपीएसपीडीसीएल / तिरुपति / आंध्रप्रदेश	273	79	122	230	180	13
		कुल	520	237	247	510	372	41
3	अरुणाचल प्रदेश	ऊर्जा विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित सीजीआरएफ उत्पन्न नहीं हुआ है। प्रश्न नहीं उठता चूंकि सीजीआरएफ ने अभी तक विद्युत विभाग अरूणाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित नहीं किया गया है।	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	ऊर्जा विभाग, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा गठित सीजीआरएफ उत्पन्न नहीं हुआ है।
4	बिहार	पटना	168	31	18	181	160	58
		मुजफ्फरपुर	130	7	0	137	133	64
		पूर्णिया	20	10	11	19	शून्य	शून्य
		कुल	318	48	29	337	293	122
5	दिल्ली	बीआरपीएल	85	145	114	116	22	24
		बीवाईपीएल	6	12	2	16	10	8
		टीपीडीडीएल	170	148	167	151	71	35
		एनडीएमसी	5	0	2	3	3	4
		कुल	266	305	285	286	106	71

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	नाम सीजीआरएफ	सितंबर, 2015 को समाप्त हुई पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)	तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2015) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)
6	गुजरात	डीजीवीसीएल, सूरत	3	65	61	7	0	10
		एमजीवीसीएल फोरम	6	7	12	1	0	5
		पीजीवीसीएल, राजकोट	56	97	116	37	2	13
		पीजीवीसीएल, भावनगर	41	95	113	23	2	11
		पीजीवीसीएल, भुज	4	25	18	11	2	9
		यूजीवीसीएल फोरम	10	26	29	7	0	9
		टीपीएल–अहमदाबाद	6	49	48	7	0	13
		टीपीएल फोरम	3	4	6	1	0	13
		कुल	129	368	403	94	6	83
7	हरियाणा	यूएचबीवीएनएल	4	6	5	5	.	14
		डीएचबीवीएनएल	28	42	37	33	2	26
		कुल	32	48	42	38	2	40
8	हिमाचल प्रदेश	एफआरजीसी, कसुम्पटी, शिमला	32	32	7	57	44	15
		कुल	32	32	7	57	44	15
9	झारखंड	सैल बोकारों, झारखण्ड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	6
		जेयूएससीओ	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	1
		टाटा स्टील लि	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिए	4	3	2	5	3	17
		वीयूएसएनएफ, चाईबासा	16	1	3	14	14	12
		वीयूएसएनएफ, दुमका	3	1	2	2	1	12
		वीयूएसएनएफ, हजारीबाग	11	6	2	15	9	3
		वीयूएसएनएफ, जेएसईबी, मेदिनीनगर	1	2	1	2	शून्य	8
		दामोदर वैली कॉर्पोरेशन मैथन, झारखंड	1	शून्य	शून्य	1	1	शून्य
		कुल	36	13	10	39	28	59

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	नाम सीजीआरएफ	सितंबर, 2015 को समाप्त हुई पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)	तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2015) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)
10	कर्नाटक	बीईएससीओएम	43	19	17	45	33	7
		एमईएससीओएम	1	1	1	1	0	2
		एचईएससीओएम	29	16	30	15	8	21
		जीईएससीओएम	25	3	0	28	25	2
		सीईएससी	5	4	8	1	1	3
		कुल	103	43	56	90	67	35
11	केरल	सीजीआरएफ–उत्तर (केएसईबी)	68	56	79	45	19	119
		सीजीआरएफ – केन्द्रीय (केएसईबी)	53	35	53	35	2	13
		सीजीआरएफ – दक्षिण (केएसईबी)	50	80	60	70	9	36
		त्रिचूर निगम	2	शून्य	1	1	1	6
		केडीएचपीसीएल	1	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल	174	171	194	151	31	174
12	मध्य प्रदेश	ईसीजीआर,फ भोपाल	32	33	24	41	14	12
		ईसीजीआरएफ इंदौर	47	96	95	48	0	48
		ईसीजीआरएफ जबलपुर	16	424	497	33	6	26
		कुल	95	553	616	122	20	86

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	नाम सीजीआरएफ	सितंबर, 2015 को समाप्त हुई पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)	तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2015) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)
13	महाराष्ट्र	भांडुप शहरी क्षेत्र	18	31	17	32	32	76
		कोल्हापुर जोन	15	31	18	26	3	4
		नासिक क्षेत्र	2	10	6	6	0	22
		कोंकण जोन	2	6	5	3	0	19
		लातूर जोन	3	7	2	8	2	5
		औरंगाबाद क्षेत्र	3	6	3	5	5	10
		अमरावती अंचल	6	19	11	14	0	28
		पुणे जोन	5	16	15	5	0	24
		नागपुर जोन	27	81	66	42	5	12
		गोंदिया अंचल	2	0	0	2	0	0
		कल्याण क्षेत्र	65	52	22	95	67	52
		जलगांव जोन	0	2	2	0	0	2
		नांदेड़ अंचल	2	1	2	1	0	1
		बारामती अंचल	0	6	1	5	2	1
		चंद्रपुर जोन	2	0	0	2	0	0
		अकोला जोन	6	19	11	14	0	28
		बीईएसटी अंडरटेकिंग	3	14	6	11	1	8
		आर इंफ्रा डी	1	3	2	2	0	2
		टीपीसी–डी	0	0	0	0	0	4
		कुल	162	304	189	273	117	298
14	मेघालय	मेघालय, सीजीआरएफ	शून्य	1	1	शून्य	शून्य	शून्य

क्र. सं.	एसईआरसी/ जेईआरसी का नाम	नाम सीजीआरएफ	सितंबर, 2015 को समाप्त हुई पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)	तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2015) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)
15	ओडिशा	भुवनेश्वर	4	129	127	6	0	21
		खुर्दा	40	151	169	22	2	22
		कटक	11	306	300	17	0	23
		ढेंकनाल	57	186	176	67	2	10
		पारादीप	72	90	124	38	0	19
		राउरकेला	48	42	81	9	1	4
		बुर्ला	38	125	78	85	5	19
		बोलंगीर	101	167	180	88	0	38
		बालासोर	70	89	129	30	0	28
		जाजपुर रोड	30	59	74	15	11	11
		बेरहामपुर	75	138	110	103	20	55
		जयपोर	105	146	123	128	36	39
		कुल	651	1628	1671	608	77	289
16	पंजाब	पीएसपीसीएल	21	40	38	23	2	25
		कुल	21	40	38	23	2	25
17	राजस्थान	अजमेर	481	3505	3347	639	–	–
		जयपुर	724	7868	7874	718	–	–
		जोधपुर	303	1649	1582	370	–	–
		कुल	1508	13022	12803	1727	–	–
18	तमिलनाडु	तमिलनाडु	161	279	270	170	24	77

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	नाम सीजीआरएफ	सितंबर, 2015 को समाप्त हुई पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)	तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2015) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)
19	उत्तर प्रदेश	आगरा	58	33	28	63	30	408
		अलीगढ़	11	26	13	24	14	11
		झांसी	33	104	95	42	20	41
		कानपुर	17	8	13	12	4	98
		चित्रकूट	2	0	0	2	2	0
		कानपुर, केईएससीओ	121	30	25	126	77	102
		लखनऊ	23	59	57	25	15	36
		बरेली	5	204	0	209	5	77
		फैजाबाद	28	146	142	32	20	28
		गोंडा देवीपाटन	12	0	0	12	12	0
		ग्रेटर नोएडा	2	0	1	1	1	1
		वाराणसी	42	62	60	44	26	35
		इलाहाबाद	144	167	43	268	129	14
		गोरखपुर	16	120	119	17	13	188
		आजमगढ़	17	20	28	9	5	53
		मिर्जापुर	126	11	22	115	112	58
		बस्ती	4	228	224	8	2	525
		मेरठ	32	56	45	43	11	52
		मुरादाबाद	46	37	10	73	45	33
		सहारनपुर	28	5	15	18	14	135
		कुल	767	1316	940	1143	557	1895
20	उत्तराखंड	गढ़वाल जोन	46	46	67	25	17	0
		कुमाऊँ जोन	76	83	85	74	10	0
		कुल	122	129	152	99	27	0

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	नाम सीजीआरएफ	सितंबर, 2015 को समाप्त हुई पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)	तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2015) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)
21	पश्चिम बंगाल	डब्ल्यूबीएसईडीसी, एल	89	198	222	191	38	37
		सीईएससी लिमिटेड	2	208	207	3	शून्य	अवधि के दौरान सभी कार्य दिवस
		डीपीएससी लिमिटेड	शून्य	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		डीवीसी	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	इस तिमाही के दौरान कोई शिकायत नहीं मिली
		डीपीएल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल	91	407	429	194	38	37
22	जेईआरसी मणिपुर और मिजोरम	पी एण्ड ई विभाग, सीजीआरएफ, मिजोरम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		मणिपुर राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (एमएसपीडीसीएल), सीजीआरएफ, मिजोरम	शून्य	1	शून्य	1	शून्य	शून्य
23	जेईआरसी गोवा और यूटीएस	सीजीआरएफ ईडी–चंडीगढ़	46	42	42	46	18	20
		सीजीआरएफ – ए – एन आइलैड	3	9	9	3	0	25
		सीजीआरएफ – दमन और दीव	4	2	6	0	0	5
		सीजीआरएफ–डीएनएफ	3	10	8	5	1	7
		कुल	56	63	65	54	19	57
24	सिक्किम	सिक्किम	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
25	छत्तीसगढ़	रायपुर	15	13	16	12	3	13
		बिलासपुर	16	40	51	5	0	46
		रायगढ़	1	0	1	0	0	1
		भिलाई	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
		कुल	32	53	68	17	3	60
26	जम्मू और कश्मीर	सीजीआरएफ अभी तक स्थापित नहीं हुआ है						
27	त्रिपुरा	टीएसईसीएल–सीजीआरएफ–I, एसईसीएल–सीजीआरएफ–II, टीएसईसीएल – सीजीआरएफ–III	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
28	नगालैण्ड		शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29	तेलंगाना	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई।						

III ओमबड्समैन द्वारा शिकायतों के निपटान की स्थिति

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमबड्समैन की संख्या	सितंबर, 2015 को समाप्त हुई पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)	तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2015) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)
1	असम	1	1	3	शून्य	4	1	5
2	आंध्र प्रदेश	1	26	13	8	31	22	14
3	अरुणाचल प्रदेश	1	शून्य	4	शून्य	4	4	3
4	बिहार	1	50	8	12	46	38	छुट्टियों को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन
5	दिल्ली	1	15	15	3	27	25	12
6	गुजरात	1	20	47	36	31	0	62
7	हरियाणा	1	4	3	5	2	0	5
8	हिमाचल प्रदेश	1	–	–	–	–	–	–
9	झारखंड	1	3	5	4	4	4	14
10	कर्नाटक	1	8	9	2	15	7	10
11	केरल	1	50	22	34	38	16	38
12	मध्य प्रदेश	1	10	7	4	13	2	11
13	महाराष्ट्र	2	62	32	58	36	7	73
14	मेघालय	1	लागू नहीं	1	1	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
15	ओडिशा	2	53	44	51	46	24	112
16	पंजाब	1	18	19	20	17	0	19
17	राजस्थान	1	33	48	67	14	लागू नहीं	फुल टाइम

क्र. सं.	एसईआरसी / जेईआरसी का नाम	ओमबड्समैन की संख्या	सितंबर, 2015 को समाप्त हुई पिछली तिमाही के दौरान बकाया शिकायतों की संख्या	तिमाही के दौरान प्राप्त शिकायतों की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)	तिमाही (अक्टूबर से दिसंबर, 2015) के दौरान निस्तारित शिकायतों की संख्या	दिसंबर, 2015 को समाप्त तिमाही के पास लंबित शिकायतों की संख्या	लंबित शिकायतों की संख्या जो 2 महीने से पुरानी हैं	तिमाही में सीजीआरएफ की बैठक की संख्या (अक्टूबर से दिसंबर, 2015)
18	तमिलनाडु	1	.	29	21	43	0	27
19	उत्तराखंड	1	22	5	18	9	18	0
20	उत्तर प्रदेश	1	44	57	51	50	17	130
21	पश्चिम बंगाल	3	193	88	159	122	64	58
22	संयुक्त विनियामक आयोग मणिपुर और मिजोरम	2	लागू नहीं	1	लागू नहीं	1	लागू नहीं	लागू नहीं
23	जेईआरसी गोवा और ऑल यूटीस	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
24	छत्तीसगढ़	1	1	3	2	2	छपस	59
25	त्रिपुरा	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
26	सिक्किम	1	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
27	जम्मू और कश्मीर	ओमबड्समैन अभी तक स्थापित नहीं हुआ है						
28	नगालैंड	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
29	तेलंगाना	सूचना प्रस्तुत नहीं की गई है						

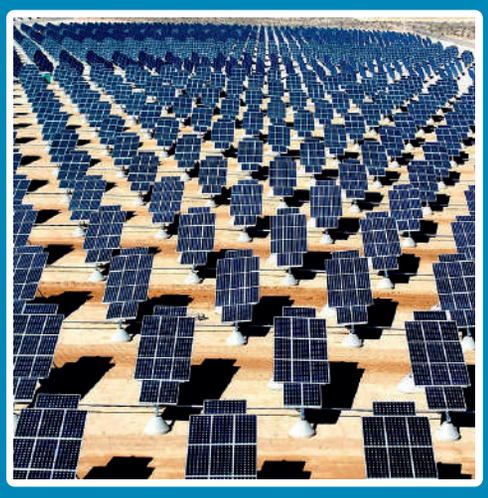

विनियामक फोरम (एफओआर)

सचिवालयः मार्फत केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (केविविआ)

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चंद्रलोक बिल्डिंग, 36 जनपथ, नई दिल्ली – 110 001

दूरभाषः +91-11-23753920 फैक्सः +91-11-23752958